द्वितीय माला, खण्ड ९—अंक १६
२ दिसम्बर, १९५७ (सोमवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Third Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड ९ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

266 LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ९--अंक ११ से २०--दिनांक २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर, १९५७)

पृष्ठ

अंक ११--सोमवार २५ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२० से ४२६, ४२८, ४२९, ४३२, ४३३, ४३५, ४३७, ४४३ से ४४८ और ४५० से ४५२ . . . ९९९–१०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७, ४३०, ४३१, ४३४, ४३६, ४३८ से ४४१, ४४९ और ४५३ से ४७६ . . . . १०२६–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ से ५९८, ६०० से ६४० और ६४२ से ६५४ . . . . . १०४०–७०

स्थगन प्रस्ताव--

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल की दुर्घटना . . १०७०–७३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र– १०७३–७४

राज्य-सभा से सन्देश १०७४

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १०७४

दिल्ली निगम विधेयक तथा दिल्ली विकास विधेयक के बारे में याचिका . १०७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मलावार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कल्लाई में उत्पादन बन्द होना १०७४

नागा पहाड़ियां–तुएनसांग क्षेत्र विधेयक १०७५–९३

विचार करने का प्रस्ताव १०७५

खण्ड २ से ७ और १ . . १०९१–९३

पारित करने का प्रस्ताव १०९३

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संकल्प तथा भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . १०९४–९७, ११००–०५

२३-११-५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . १०९७–११००

दैनिक संक्षेपिका ११०६–११

अंक १२--मंगलवार, २६ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४७७, ४७९ से ४८३, ४८५, ४८६, ४८८ से ४९३ और ४९८ से ५०१ ११११–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८, ४८४, ४९४ से ४९७ और ५०२ से ५२८ . ११३६–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५५ से ७१७ . ११४९–७७

स्थगन प्रस्ताव—

२३–११–५७ को बम्बई-कलकत्ता मेल दुर्घटना . . . ११७७–७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ११७९

भारत का रक्षित बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ११७९–८०

खण्डवार विचार—खण्ड १–४ स्वीकृत हुए . . ११७९–८०

पारित करने के लिये प्रस्ताव ११८०

कतिपय राज्यों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव– . . ११८०–९७

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में . ११९७–१२१५

दैनिक संक्षेपिका १२१६–२०

अंक १३—बुधवार, २७ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२८-क, ५२९ से ५३९, ५४१, ५४२, ५५०, ५५२, ५५५ और ५५८ से ५६० . . . १२२१–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४०, ५४३ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५४, ५५६, ५५७, ५६१ से ५६३, ५६५ से ५७९ और ५८१ से ५८५ . . . . . १२४७–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१८ से ७३५ और ७३७ से ७७७ . १२६१–८७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२८७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १२८८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बसवां प्रतिवेदन १२८८

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १२८८–१३२०

खण्ड २ से ५८ . . १३०५–२०

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . १३२०–२६

दैनिक संक्षेपिका १३२७–३१

अंक १४—गुरुवार, २८ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ से ५९४, ५९७, ५९८, ६०० से ६०५, ६०९ और ६११ से ६१७ . १३३३–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५, ५९६, ५९९, ६०६ से ६०८, ६१० और ६१८ से ६२९ . . . . . . १३६०–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७८ से ७८२, ७८४ से ८३२ और ८३४ से ८४१ १३६७–८८

राज्य-सभा से सन्देश १३८९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

फर्रुखाबाद कानपुर सवारी गाड़ी का पटरी से उतरना १३८९-९०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . १३९०

पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . १३९०

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित १३९०–९१

वित्त मंत्री की, विदेश यात्रा सम्बन्धी उन के वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . १३९१–९९, १४००–१२

सभा का कार्य १३९९–१४००

दिल्ली नगरपालिका निगम विधेयक १४१२–३९

खण्डवार विचार १४१२–२५

दैनिक संक्षेपिका १४३५–३९

अंक १५—शुक्रवार, २९ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३० से ६३४, ६३६ से ६४१, ६४३, ६४४, ६४७ से ६५१, ६५७ और ६५९ से ६६३ . १४४१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५, ६४२, ६४५, ६४६, ६५२ से ६५६, ६५८ और ६६४ से ६६९ . . . . . . १४६७–७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२, ८४३, ८४५ से ८६२, ८६४ से ८७५ और ८७७ से ९११ . ९४७३–१५००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी में हड़ताल की धमकी १५००

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५००–०१

राज्य-सभा से सन्देश १५०१

हिमाचल प्रदेश में बस दुर्घटना १५०१–०२

सभा का कार्य १५०२

	पृष्ठ
भारतीय परिचर्या परिषद् (संशोधन) विधेयक .	१५०३–१५
विचार करने का प्रस्ताव	१५०३
खण्ड २ से १५ और १	१५१३
पारित करने का प्रस्ताव .	१५१३
अफ़ीम विधि (संशोधन) विधेयक	१५१५–२१
विचार करने का प्रस्ताव . .	१५१५
खण्ड २ से ६ और १ . .	१५२०–२१
पारित करने का प्रस्ताव . . .	१५२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
दसवां प्रतिवेदन . . .	१५२१
कॉंस्टग परिणामों के प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक योग्यता वाली परीक्षा को निमंत्रित करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प	१५२१–२६
बौद्धधर्म अपनाने वालों के लिये संरक्षणों के बारे में संकल्प .	१५२६–३६
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . .	१५३६–३७
दैनिक संक्षेपिका	१५३८–४२
अंक १६--सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७० से ६७७, ६८१, ६८३, ६८४, ६८६, ६८७, ६८९, ६९०, ६९२, ६९३ और ६९५ से ६९९	१५४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७८ से ६८०, ६८२, ६८५, ६८८, ६९१, ७०० से ७११, २६८ और २७८ . . .	१५६६–७४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९१२ से ९३०, ९३२ से ९३६ और ९३९ से ९७०	१५७४–१६००
श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन . .	१६००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . .	१६००–०१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	१६०१
कार्य मंत्रणा समिति--	
तेरहवां प्रतिवेदन	१६०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१६०१–०२
समितियों के निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव	१६०२–०३
कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक-- पुरःस्थापित किया गया .	१६०३

पृष्ठ

छावनियां किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में १६०३–०६

विचार करने का प्रस्ताव १६०३
खंडवार विचार १६०६
पारित करने का प्रस्ताव १६०६
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६१०–१६
दैनिक संक्षेपिका १६१७–२१

अंक १७—मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ से ७१८, ७२०, ७२३ से ७२९, ७३१, ७३२, ७३४, ७३५, ७३७, ७४१ और ७४० . १६२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२१, ७२२, ७३०, ७३३, ७३६, ७३८, ७३९, ७४२ से ७५७ और ७५९ से ७६३ . . . १६४८–५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ९७१ से १०४१ . . . १६५९–८८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८९–९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति १३९०

कार्य मंत्रणा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन १६९०

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में . . . १६९०
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव १६९१–१७३०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . १७३०
काजू उद्योग पर आधे घंटे की चर्चा १७३०–३४
दैनिक संक्षेपिका १७३५–४०

अंक १८—बुधवार, ४ नवम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ से ७७१, ७७३, ७७६, ७७७, ७७९, ७८०, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९१ से ७९४ और ७९८ से ८०१ १७४१–६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२, ७७४, ७७५, ७७८, ७८१, ७८२, ७८५, ७८८, ७९०, ७९५ से ७९७, ८०२ से ८०७, ८०९ से ८१३ और ३४९ १७६८–७७

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४२ से १०४८, १०५० से १०८४, १०८६ से १०९६, १०९८ से ११२३ और ११२५ से ११३१ .	१७७७–१८१३
जीवन बीमा निगम के विनियोजन पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना के बारे में	१८१३–१४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१८१४
राज्य-सभा से सन्देश	१८१४
भारतीय तार (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१८१४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत के संविधान की मुद्रित प्रतियों के जलाये जाने का समाचार	१८१५
तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के अनुपूरक के उत्तर की शुद्धि . .	१८१५–१६
तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के बारे में वक्तव्य . . .	१८१६
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
पुरःस्थापित	१८१६
पूंजी निर्गम (नियंत्रण) संशोधन विधेयक	१८१६–२६
विचार करने का प्रस्ताव	१८१६
खण्ड १ से ८	१८२५
पारित करने का प्रस्ताव	१८२५
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक .	१८२६–२७
विचार करने का प्रस्ताव	१८२६
खण्ड १ से ३	१८२७
पारित करने का प्रस्ताव	१८२७
जीवन बीमा निगम के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१८२८–४८
दैनिक संक्षेपिका	१८४९–५४

अंक १९—गुरुवार, ५ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२१, ८२३, ८२४, ८२६, ८२९, ८३१, ८३५ से ८४०, ८४२ से ८४४ और ५४७ . .	१८५५–८०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१८८१–८२

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२२, ८२५, ८२७, ८२८, ८३०, ८३२ से ८३४, ८४१ और ८४५ . १८८२–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ से १२१० १८८५–१९१७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९१७

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—पुरःस्थापित १९१७–१८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित . १९१९–२०

भारतीय तार (संशोधन) विधेयक— १९२०–३१

विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

खंड १ से ३ . . १९३१–३२

पारित करने का प्रस्ताव . . १९३२

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक १९३२–४६

विचार करने का प्रस्ताव १९३२

खंड १ से ७ . १९४६

पारित करने का प्रस्ताव १९४६

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक १९४६–५१

विचार करने का प्रस्ताव १९४६

कार्य मंत्रणा समिति—

चौदहवां प्रतिवेदन १९५०

दैनिक संक्षेपिका १९५२–५६

अंक २०—शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६ से ८५३, ८५५ से ८६१, ८६४, ८६६ से ८६८, ८७०, ८७१, ८७४ और ८७५ १९५७–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ १९८४–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५४, ८६२, ८६३, ८६५, ८६९, ८७२, ८७३, ८७६ से ८९९ और ४४२ १९८५–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ से १२२७ और १२२९ से १२९२ १९९८–२०३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०३३–३४

वर्ष १९५७-५८ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . २०३४

सभा का कार्य २०३४

पृष्ठ

आसाम के तेल निक्षेपों से तेल निकालने के लिये रुपया समवाय बनाने के बारे में वक्तव्य १०३५
भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति के लिये निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव २०३६
दण्ड-विधि संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित २०३६
संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . २०३६–३७
सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) विधेयक—पुरःस्थापित २०३७
डफरिन की काउन्टेस निधि विधेयक—पुरःस्थापित २०३७
कार्य मंत्रणा समिति—
चौदहवां प्रतिवेदन २०३८
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक —
विचार के लिये प्रस्ताव २०३८–५५
खण्ड २ से १८ तथा १ . . २०४६–५४
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव २०५४
मंजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव २०५५–५६
समान पारिश्रमिक विधेयक—पुरःस्थापित २०५६
बीड़ी तथा सिगार श्रम विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव . २०५६–६३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक—
विचार करने के लिए प्रस्ताव . २०६३–७१
राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक—
विचार करने के लिए प्रस्ताव २०७१–७३
आधे घंटे की चर्चा—
खाद्यान्नों पर अग्रिम धन २०७३–७७
दैनिक संक्षेपिका २०७८–८४

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, २ दिसम्बर, १९५७

लोक-सभा ढाई बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सोवियत रूस से ऋण

+

†*६७० { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास:
श्री राम शंकर लाल:
श्री नागी रेड्डी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस की सरकार ने पहले भारत को जो ऋण दिया है उसके अतिरिक्त और ऋण देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और उसका प्रस्ताव किन शर्तों तथा निबन्धनों पर किया गया है ;

(ग) क्या इस आशय का कोई करार हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ; और

(ङ) इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत सरकार को इस विषय पर सोवियत सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री राधा रमण** : क्या हाल में समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय का समाचार सही था कि सोवियत रूस ने भारत को और ऋण देने का प्रस्ताव किया है, और यदि वह सही नहीं था तो क्या भारत सरकार द्वारा स्थिति का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दो प्रकार के समाचार प्रकाशित हुये थे । एक पचास करोड़ रूबल के सम्बन्ध में था जिसके सम्बन्ध में, जैसा कि सदन को ज्ञात है, अन्तिम निर्णय किया जा चुका है और

†मूल अंग्रेजी में

प्रायः समस्त करार किये जा चुके हैं। वह भारी अभियंत्रणा परियोजनाओं के सम्बन्ध में था। एक अन्य समाचार प्रकाशित हुआ है और सरकार को उसकी जानकारी है। परन्तु ये अनौपचारिक सम्पर्क हैं और कोई औपचारिक प्रस्ताव हमें न प्राप्त हुआ है और न स्वीकार किया गया है।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूसरे समाचार में उल्लिखित प्रस्तावित ऋण किस प्रयोजन के लिये था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वह, जैसा कि समाचार में प्रकाशित हुआ है, कुछ औषधियों से सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में था जिसमें, जैसा कि सदन को ज्ञात है, सोवियत सरकार ने हमारे ही अनुरोध पर बहुत दिलचस्पी ली है और एक सोवियत दल गत वर्ष आया था और उसने समस्त औषधि उद्योग के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रतिवेदन हमें दिया था। ऋण का प्रश्न इन परियोजनाओं पर वार्ता के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निश्चय हो जाने के पश्चात् ही उत्पन्न होगा।

†**श्री पाणिग्रही :** सोवियत संघ से अभी तक कुल कितना ऋण प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** भारी अभियंत्रणा परियोजना के लिये ५० करोड़ रूबल।

दण्डकारण्य पुनर्वास योजना

+

†*६७१. { **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री संगण्णा:
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:
श्री शिवनंजप्पा:

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या दूसरी पंच वर्षीय योजना के पुनर्प्राविस्था भाजन के कारण इस योजना में कोई परिवर्तन किये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो क्या क्या ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** (क) योजना का क्षेत्र में प्रशासन करने के लिये एक मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसने स्थानीय परिस्थितियों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने और विशेषज्ञों के एक दल के साथ अपने अगले दौरे की योजना बनाने के लिये चुने हुये क्षेत्रों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है। इन क्षेत्रों का विकास करने के लिये स्थापित की जाने वाली मशीनों से सम्बन्धित प्रस्ताव और उनकी लागत का प्राक्कलन उसके अन्तिम प्रतिवेदन की प्राप्ति पर तैयार किया जायगा।

(ख) और (ग). भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस विशेषज्ञ दल में कौन लोग होंगे और उन्हें किस प्रकार का कार्य सौंपा जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सर्वेक्षण में भूमि-सर्वेक्षण, समोच्च रेखा सर्वेक्षण, पीने का पानी, सिंचाई, संचार, स्वास्थ्य और अन्य मामले सम्मिलित होंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : योजना में थोड़े से परिवर्तन करने के पश्चात् उसमें कितनी लागत लगेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सम्भवतः मेरा उत्तर भली प्रकार समझा नहीं गया है । मैंने कहा था कि हमने केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है । विशेषज्ञ दल वहां शीघ्र ही जाने वाला है और जब अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो जायगा और हमें योजना की वित्तीय उपलक्षणायें ज्ञात हो जायेंगी तभी इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ?

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि योजना की सफलता स्वयं शरणार्थियों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है, क्या सरकार ने उन क्षेत्रों की वर्तमान परिस्थितियों के प्रारम्भिक अध्ययन में शरणार्थियों के प्रतिनिधि वर्गों को सम्बद्ध किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जब हम शरणार्थियों को पुनर्वास के लिये वहां ले जायेंगे तो चाहे वे किन्हीं भी क्षेत्रों के हों, चाहे बंगाल के अथवा किसी भी अन्य राज्य के, राज्यों का सक्रिय सहयोग और साथ लिया जायगा ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या मंत्रालय को उन कठिनाइयों की जानकारी है जिनका सामना उड़ीसा को दण्डकारण्य में प्रारम्भ की गई अग्रिम परियोजना में शरणार्थियों के पुनर्वास में करना पड़ रहा है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मेरी जानकारी में तो ऐसी बात नहीं है । मैं पन्द्रह दिन पहले ही वहां गया था और मुझे राज्य सरकार द्वारा इस बात का विश्वास दिलाया गया था कि यदि वहां स्वास्थ्य के लिये आवश्यक परिस्थितियां, संचार-साधन और अन्य चीजें उपलब्ध हो जायें तो दण्डकारण्य में अग्रिम परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में शरणार्थी वहां जाने को तैयार हो जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मंत्रालय योजना की समाप्ति के लिए किसी प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम का विचार कर रहा है और क्या उस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए कोई अस्थायी प्रक्रम निश्चित कर लिए गए हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कार्यक्रम निश्चय ही प्रावस्था-भाजित होगा । हमें ८,००,००० वर्ग मील में कार्य करना है, और जैसा कि मैंने कहा, जब तक अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा मेरे लिये कोई कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है ।

रूसी वनस्पति विज्ञानवेत्ता

+

†*६७२. { **श्री रा० चं० माझी:**
श्री सुबोध हासदा: }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी वनस्पति विज्ञानवेत्ताओं का एक दल मई, १९५७ में भारत आया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या दल के नेता ने भारत और रूस के बीच वनस्पति विज्ञान वेत्ताओं के आवागमन का प्रस्ताव किया था ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) दल के नेता द्वारा वानस्पतिक सर्वेक्षण के मुख्य वनस्पति विज्ञानवेत्ता के साथ बातचीन के दौरान में ऐसे आवागमन के लिए एक मौखिक सुझाव रखा गया था ।

†**श्री सुबोध हासदा:** : क्या यह प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के आमंत्रण पर यहां आया था और यदि हां, तो भारत सरकार ने इस पर कितनी रकम खर्च की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: यह प्रार्थना नई दिल्ली स्थित सोवियत दूतावास से प्राप्त हुई थी और भारत सरकार ने इस पर कुछ खर्च नहीं किया ।

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या वानस्पतिक दल की रचना हो गई है और उसे रूस के पास भेज दिया गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ सका हूं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : और यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह स्पष्ट नहीं है अतः इसके उत्तर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इन रूसी वानस्पतिकों के प्रतिवेदन के फलस्वरूप औषधि निर्माण उद्योग के ऋण के लिये एक नये प्रस्ताव की सूचना अब भारत सरकार को दे दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इसका औषधि-निर्माण उद्योग से वस्तुतः कोई संबन्ध नहीं है । इस आशय का कोई प्रतिवेदन भी नहीं था, केवल मौखिक बातचीत थी ।

†**श्री भक्त दर्शन** : इन रूसी बोटेनिस्ट्स ने देश के किन-किन भागों का दौरा किया और क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी और उस पर क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह टीम कलकत्ता, दिल्ली, दार्जलिंग, गौहाटी और जोरहट गई थी तथा इस बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं है ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या इस टीम ने पेलियो बोटेनी[1] के अध्ययन की उन्नति के लिये और विशेष रूप से कृषि तथा भूमि इंजीनियरिंग के लिये इसकी आवश्यकता के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मैंने अभी बताया है कि मौखिक सुझाव के अतिरिक्त सोवियत अधिकारियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ।

†**श्री दासप्पा:** : क्या उन्होंने पौधशाला[2] के सुझाव सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया है तथा क्या इस योजना से सहायता मिलेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Palaeo Botany.

[2]Herbarium.

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : भारत में अनेक पौधशालाय हैं । मालूम नहीं माननीय सदस्य किसकी ओर निर्देश कर रहे हैं ।

†**श्री दासप्पा** : सरकार कलकत्ता में जिसकी स्थापना पर विचार कर रही है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसका रूसी वानस्पतिकों के दौरे से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

काश्मीर

\+

†*६७३. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री हेडा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में निराश्रित और मूक व्यक्तियों का प्रश्न उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां । काश्मीर सम्बन्धी वर्तमान चर्चा के दौरान भारत के प्रतिनिधिमण्डल ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में व्याप्त असंतोष की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किया था । उन्होंने पाकिस्तान से अनधिकृत कब्जा समाप्त करने के लिये भी कहा है क्योंकि इसी कारण काश्मीर निवासियों को इतनी विपदा का सामना करना पड़ रहा है और जो काश्मीर के बलपूर्वक अधिकृत भाग की आर्थिक और राजनीतिक उन्नति के मार्ग में एक अविरत बाधा के रूप में अभी भी मौजूद है ।

(ख) सुरक्षा परिषद में अभी चर्चा चल रही है ।

श्री विभूति मिश्र : इतना जो भारत के प्रतिनिधियों ने कहा, तो पाकिस्तान के ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कौन कह सकता है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि तथाकथित काश्मीर में अनेक संस्थाओं ने संकल्प पारित किये हैं कि आजाद काश्मीर में चुनाव कराये जायें और यदि हां, तो क्या इन में से कोई संकल्प वैदेशिक कार्य मंत्रालय के ध्यान में लाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी, हां । वहां कुछ संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के संकल्प पारित किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या 'अधिकृत काश्मीर' स्थित हमारे देशवासियों को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में भारत सरकार रैड क्रास सोसायटी अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह तथ्य नहीं है कि तथाकथित आजाद काश्मीर के शरणार्थियों ने सुरक्षा परिषद के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि मंगला बांध के निर्माण से अनेक व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे तथा इसका निर्माण नहीं होना चाहिये ?

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : मुझे सन्देह है कि यह प्रश्न सुसंगत है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इससे प्रश्न ही समाप्त हो जाता है ।

श्रम विवाद[1]

\+

†*६७४. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री संगण्णाः
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विवादों को हल करने में शीघ्रता करने और पंचाट की क्रियान्विति के लिये सरकार क्या कार्यवाही करनें का विचार रखती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इन मामलों का शीघ्र निबटारा करने के लिये औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में समुचित संशोधन किये जा रहे हैं ।

'पंचाट की क्रियान्विति पर विचार करने के लिये नई दिल्ली में १७ और १८ अक्तूबर, १९५७ को आयोजित स्थायी श्रम समिति के सोलहवें सत्र में घोषित निर्णय के अनुसार एक त्रिदलीय व्यवस्था कायम की जा रही है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन दलों की उपस्थिति अनिवार्य करने की शक्ति समझौता अधिकारियों को प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री आबिद अली** : संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें इस प्रकार के आंशिक अधिकार प्राप्त हो गये हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : न्याय निर्णयन में दियें गये पंचाट की क्रियान्विति न करने वाली पार्टियों के लियें भयोत्पादक दण्ड के उपबन्ध का प्रस्ताव क्या सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां । बार बार अपराध करने वालों के लिये हम दण्ड की व्यवस्था कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Labour Disputes.

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** बहुत समय पूर्व घोषित किये गये पंचाट अभी तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं तथा इससे कर्मचारियों को कठिनाई में रहना पड़ता है। क्या सरकार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इस विलम्ब से बचने के लिये किसी उपबन्ध पर विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली :** हम उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाने की प्रवृत्ति को कम कर इन मामलों की जांच के लिये स्थानीय औद्योगिक, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर त्रिदलीय समितियां स्थापित कर रहे हैं और जो मामले वहां तक पहुंच गये हैं उन्हें वापस लेने का प्रयत्न भी कर रहे हैं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न जाने के लिये स्वैच्छिक परामर्श के अतिरिक्त क्या सरकार विधि में कुछ परिवर्तन करेगी कि ये मामले वहां न जाने पायें और फिर विलम्ब न हो सके ?

†**श्री आबिद अली :** यह केवल संविधान में संशोधन करने पर ही हो सकता है । हम फिलहाल ऐसा नहीं करना चाहते हैं ?

पंचशील

*६७५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि रूस के विदेश मंत्री ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा है कि सब देशों को पंचशील के सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिये ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : सोवियत सरकार ने सुझाव दिया है कि महासभा एक घोषणा करे जो राज्यों के शांतिपूर्ण सह-जीवन से सम्बन्धित हो। इस घोषणा के मसौदे में पंचशील के सिद्धान्तों से बिलकुल मिलती-जुलती बातें हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी उत्तर दिया जाये ।

(इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि पंचशील के सिद्धान्त को अब तक दुनिया के कितने देशों ने माना है और कितने देशों ने नहीं माना है। जिन देशों ने माना है उन के वहां पर कार्य रूप में परिणत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मानते तो सब देश हैं परन्तु अमल नहीं करते ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि पंचशील के सिद्धान्त को दुनिया के कितने देशों ने माना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपाध्यक्ष महोदय ने आप को बता दिया और जवाब माकूल दे दिया। बाज़ देशों ने इस को ज़ाब्ते से माना है ज़ाब्ते का मतलब किसी न किसी दस्तावेज़ में यह लिखा है कि वह इस को स्वीकार करते हैं और बाज़ देश कहते हैं कि हम इस सिद्धान्त को मानते ही हैं लेकिन उस की बाबत ज़ाब्ते से कहीं लिखा पढ़ी नहीं हुई और बाज़ देश इस बारे में ख़ामोश हैं और कुछ कहते नहीं है। किसी की निस्बत यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हों ने इस को जानबूझ कर अस्वीकार किया है और कहा है कि वह सिद्धान्त गलत है ऐसा कोई देश नहीं है जहां तक मुझे मालूम है ।

---

†मूल अंग्रेजी म

श्री विभूति मिश्र : जिन देशों ने ज़ाब्ते के तरीक़े से नहीं माना है उन देशों को ज़ाब्ते के तरीक़े से मनवाने के लिये क्या कोई शान्तिमय तरीक़ा हमारी सरकार काम में ला रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कौन सी ज़िम्मेदारी है इस गवर्नमेंट की ।

श्री विभूति मिश्र : जिन देशों ने ज़ाब्ते के तरीक़े से नहीं माना है और हम मानते हैं तो हमारी सरकार उन देशों के प्रति ताकि वे भी ज़ाब्ते के तरीक़े से इस सिद्धान्त को मानें शान्तिमय तरीक़े से क्या कोई उपाय काम में ला रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब इस मामले में कोई गला दबा कर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। उन के सामने बहुत अदब से बातें पेश की जाती हैं कि वे उन को स्वीकार करें। कुछ स्वीकार करते हैं और बाक़ी आम तौर से देश कहते हैं कि यह बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन इस सिद्धान्त को लोग स्वीकार तो कर लेते हैं, कोई एक देश इस को स्वीकार तो कर लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते तो इस से एक धोखा हो जाता है ।

†**श्री च० द० पाण्डे** : जिन देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को मानने से सहमति प्रकट की है क्या वे अपने देश के आन्तरिक मामलों में इन के अनुसार आचरण करते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पंचशील के सिद्धान्त आन्तरिक नीति से नहीं अर्थात वैदेशिक नीति से सम्बद्ध हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या पंचशील के सिद्धान्तों को अन्य देशों में लोकप्रिय बनाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ? क्या फैम्फलेट अन्य भाषाओं में छाप कर प्रसारित किये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विभिन्न भाषाओं में पैम्फलेट छापे गये हैं ।

मधुमक्खी-पालन

***६७६. श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और आसाम के हिमालय प्रदेशों में मधुमक्खी-पालन और शहद उद्योग के विकास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन प्रयत्नों में कहां तक सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और उस की जगह बने अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने ६ राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय उपकेन्द्र तथा आदर्श मधुमक्खी घर खोले हैं। सभा की मेज पर दो विवरण रखे जाते हैं जिन में उप-केन्द्रों और मधुमक्खी घर स्थापित करने में हुई प्रगति और इन राज्यों के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित शहद का परिमाण तथा मधुमक्खी पालकों कीं संख्या दी गई है। [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १**].

†**कुछ माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी उत्तर दिया जाये ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : विवरणों को देखने से ज्ञात होता है कि तीन वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद भी इस उद्योग का अभी पूरा विकास नहीं हुआ है, उदाहरणस्वरूप, उत्तर प्रदेश के ५ पर्वत्तीय ज़िलों में से केवल एक में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है और १० ही उपकेन्द्र हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इन में से प्रत्येक जिले में ऐसे उपकेन्द्र खोलने के लिये तथा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये क्या क़दम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : इस तरह के केन्द्र हर स्थान पर नहीं खोले जा सकते हैं क्योंकि इस के लिये एक विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और जहां का टेम्परेचर ६० डिगरी और १०० डिगरी के बीच में होता है वहीं यह मधुमक्खियां पाली जा सकती हैं और उत्तर प्रदेश में इस दिशा में पिछले तीन सालों में काफ़ी प्रगति हो रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक इस उद्योग को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना धन व्यय किया है और राज्य सरकारें उस में कितना सहयोग दे रही हैं ?

श्री कानूनगो : खादी बोर्ड की ओर से करेंट ईयर में बी-कीपिंग के लिये आसाम में ५,८२० रुपये, पंजाब में २५,५८० रुपये; उत्तर प्रदेश में २८,४५० रुपये और वेस्ट बंगाल में २४,३३० रुपये; खर्च किये गये हैं ।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या राज्य सरकारें जंगली शहद का व्यवस्थाबद्ध संग्रह कर रही हैं ताकि ठेकेदार इस का अपमिश्रण कर न बेचने पायें ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों की जानकारी नहीं है ?

†**श्री विश्व नाथ राय** : क्या मधुमक्खी पालन विकास के परिणामस्वरूप भारत शहद का निर्यात करने की स्थिति में है ?

†**श्री कानूनगो** : जितने शहद का उत्पादन होता है देश में उस से कहीं अधिक खपत हो सकता है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार ने उन स्थानों का सर्वेक्षण किया है जहां इस उद्योग की स्थापना की जा सकती है ?

†**श्री कानूनगो** : इस में उद्योग की स्थापना का प्रश्न नहीं है । मधुमक्खियों के खाद्य[४] की उपलब्धि और जलवायु की विशिष्टता पर यह निर्भर है ।

†**श्री दासप्पा** : यह उद्योग किन-किन स्थानों पर भली भांति विकसित किया जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां समुचित तापमान विद्यमान हो और अनुकूल अवस्था हो ।

†**श्री कानूनगो** : और जहां मक्खियों के लिये खाद्य मिल सके ।

†**श्री दासप्पा** : ये स्थान कौन-कौन से हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैसूर भी इन में शामिल है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । इस कार्य में राज्य सरकारों को जिस प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है तो क्या राज्य सरकारें भी उस में कुछ सहायता दे रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[४]Forage.

श्री कानूनगो : कई राज्य सरकारें सहायता दे रही हैं क्योंकि खादी बोर्ड का जो प्रोग्राम होता है उस में राज्य सरकारें भी तो खर्च करती हैं ।

भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड

†*६७७. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड को माल बाहर भेजते समय परिवहन तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो वह माल कौन-कौन सा है ; और

(ग) क्या इन वस्तुओं के निर्यात के लिये विदेशों से किये गये करारों का प्रति वर्ष नवीकरण किया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों को भेजी जाने वाली कुछ वस्तुएं जिन में खनिज अयस्क आदि सम्मिलित हैं रेलमार्ग और पत्तन क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर है । अयस्क आदि वस्तुओं की वृहद् मात्रा भेजने में कभी कभी परिवहन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(ग) खनिज अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में निगम के पास अनेक करार हैं । प्रत्येक करार की शर्तें और दशाओं के अनुसार इन करारों के अन्तर्गत माल निर्धारित अवधि में देना पड़ता है । कई स्थितियों में दोनों पक्षों में परस्पर वार्ता की सहायता से माल पहुंचाने की अवधि बढ़ा दी जाती है । नये करार सामान्य तौर पर नई वार्ता पर निर्भर रहते हैं और उन का नवीकरण स्वतः नहीं हो जाता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या भारत राज्य व्यापार निगम और जापान के बीच अयस्क के निर्यात के बारे में जो समझौता हुआ था वह १९५७ में पूरा हो रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : यह करार पांच वर्ष के लिये है । इस वर्ष के लिये जो करार है वह पूरा हो जायेगा ।

†**श्री तिरुमल राव** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के लिये विजाग पत्तन में काफी भीड़ है ?

†**श्री कानूनगो** : भीड़ सर्वत्र है सब पत्तनों में है ।

†**श्री नथवानी** : क्या मैंगेनीज अयस्क के विदेशी आयातकों द्वारा चार्टर किये गये स्टीमर भारतीय पत्तनों में आये थे किन्तु निगम के पास जहाजों में चढ़ाने के लिये अयस्क का स्टाक न होने से उन्हें वापस लौटना पड़ा ?

†**श्री कानूनगो** : स्टीमर वापस तो नहीं गये किन्तु परिवहन सम्बन्धी सीमित अवस्था के कारण जहाजों को लादने में कठिनाई अवश्य हुई है ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : जैसा माननीय मंत्री के उत्तर से प्रकट होता है कि प्रत्येक पत्तन में भीड़-भाड़ है तो उसे दूर करने के लिये क्या कार्रवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : पत्तन की क्षमता में वृद्धि की जा रही है और उपलब्ध साधनों के अनुसार पत्तन की क्षमता का भी विस्तार किया जा रहा है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : श्री नथवानी ने जिस विश्य की चर्चा की है वह १५ नवम्बर के फ्री प्रेस जर्नेल में प्रकाशित हुआ है । क्या उस पर ध्यान दिया गया है और यदि स्थिति गलत है तो क्या इसका प्रतिवाद किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे फ्री प्रेस जर्नल की गाथा स्मरण नहीं है । किन्तु यह सच है कि कुछ जहाजों में माल निर्धारित समय के अनुसार नहीं चढ़ सका है ।

केरल में छापाखाना

†६८१. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १४ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में कोराटी में सरकारी छापे खाने की स्थापना के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण आवास, और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा)** : प्रस्तावित छापेखाने के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में केरल राज्य सरकार कार्यवाही को अन्तिम रूप प्रदान कर रही है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : सरकार इसका निर्णय कब तक आरम्भ करने का विचार रखती है ?

†**श्री अनिल० कु० चन्दा** : भूमि अधिकार में आने के पश्चात् ही हम इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या यह छापाखाना कोयम्बटूर में स्थापित किये जाने वाले छापे खाने से भिन्न है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी, हां ।

पाकिस्तान में धार्मिक न्यासों की सम्पत्ति

†*६८३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू और सिख न्यासों (ट्रस्ट्स) द्वारा छोड़ी गई विपुल सम्पत्ति के प्रश्न को हल करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) जिन न्यासों (ट्रस्ट्स) को हानि उठानी पड़ी है उन्हें प्रतिकर देने के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हिन्दू और सिख न्यास (ट्रस्ट) द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के प्रश्न पर अनेक भारत-पाकिस्तान सम्मेलनों में चर्चा हुई है । इस विषय पर अभी बातचीत चल रही है ।

(ख) विस्थापित व्यक्तियों के लिये भारत सरकार की प्रतिकर सम्बन्धी योजना में पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई न्यास सम्पत्ति के प्रतिकर के भुगतान का उपबन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : भारत के मुस्लिम ट्रस्ट के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह धर्म निरपेक्ष राज्य है और इस प्रकार के मामलों में हमारी नीति पूर्णत: भिन्न है । हम उदार दृष्टिकोण से इस पर विचार करते हैं। अत: हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, बिहार, उड़ीसा और भूतपूर्व बम्बई राज्य और दिल्ली में ट्रस्ट सम्पदा मुक्त कर दी है। पंजाब में भी हमने कुछ प्रगति की है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : सम्पदा मुक्त करने का कार्य एक पक्षीय है अथवा द्विपक्षीय। और क्या इसके परिणामस्वरूप हिन्दुओं और सिखों द्वारा वहां छोड़े गये ट्रस्ट के लिये पाकिस्तान से प्रतिकर मिलेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह समझौता एकपक्षीय न हो कर द्विपक्षीय है। मैंने अभी बताया था कि हमने उदार दृष्टिकोण अपना कर ट्रस्ट सम्पदा मुक्त कर दी है। प्रश्न के द्वितीय भाग के बारे में माननीय सदस्य ने जो निष्कर्ष निकाला है उसका उत्तर देना बहुत कठिन है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस नीति के कारण हिन्दू और सिख ट्रस्ट के लिये प्रतिकर देने की दिशा में पाकिस्तान पर प्रभाव पड़ेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अपना अपना मत है, इसमें जानकारी पूछने की कोई बात नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या मंत्री महोदय की पाकिस्तानी मंत्री के नेतृत्व में आने वाले डेलिगेशन से इस विषय में कोई बातचीत हुई थी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री से दो या तीन दिन पूर्व इस विषय पर अमृतसर में मेरी बातचीत हुई थी। समझौते की कुछ शर्तों के निर्वाचन के बारे में कठिनाई उत्पन्न हुई थी। पहले तो पाकिस्तान इस विषय पर चर्चा करने के लिये तैयार ही नहीं हुआ था। अब वे इस विषय पर चर्चा करने के लिये तैयार हो गये हैं और आमंत्रण भी प्राप्त हुआ है। संभवत: मैं अगले महीने पाकिस्तान जाऊंगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : अब वे इस विषय पर चर्चा करने के लिये भी तैयार नहीं थे तो क्या सरकार मुसलमानों द्वारा यहां छोड़े गये ट्रस्ट के बारे में अपनी नीति बदलेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : भारत के मुस्लिम ट्रस्ट के बारे में नीति में परिवर्तन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। मैंने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि हमने ट्रस्ट की सम्पदा नियंत्रण से मुक्त कर दी है। और जो कुछ शेष है उसे भी शीघ्र मुक्त कर दिया जायेगा ।

काजू का निर्यात

†*६८४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने काजू की गिरी का अन्य देशों को निर्यात करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की है ताकि अमेरिका में काजू के मूल्य के उतार चढाव से उद्योग पर सामान्यतया कोई प्रभाव न पड़े ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : काजू की गिरी का अन्य देशों को निर्यात करने तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिये जो कार्यवाही की गयी है उसे सभा पटल पर रखे गये विवरण में संक्षेप में बताया गया है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : क्या सरकार को यह पता है कि अमेरिका में काजू के भाव के उतार चढाव के कारण यहां काजू का सट्टा होने लगता है जिससे प्रायः उत्पादक इसका ठीक मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते और उनसे कारखाने भी बन्द हो जाते हैं जिससे हजारों श्रमिक रोजगार से वंचित हो जाते हैं ?

†**श्री काननगो** : वास्तव में अमेरिका में मूल्यों के उतार चढाव इतने नहीं होते। ५ सेन्ट प्रति पौंड का अन्तर इधर या उधर रहता है। वास्तव में कच्चे काजू की उपलब्धि ही कम होती है। फरवरी तथा अप्रैल के बीच हमें पर्याप्त काजू मिलते हैं और शेष महीनों में कम।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि मसाले सम्बन्धी जांच समिति ने कहा था कि काजू का सट्टा बिल्कुल बंद होना चाहिये तभी जाकर उद्योग की स्थिति मजबूत हो सकती है।

†**श्री कानूनगो** : इसी कारण कृषि मंत्रालय काजू के अधिक उत्पादन के लिये कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार**: इस देश से कुल कितने काजू का निर्यात होता है और डालर वाले क्षेत्र को कितना ?

†**श्री कानूनगो** : अधिकतर निर्यात डालर वाले क्षेत्र को होता है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: १९५४–५५ में ३४,००० टन, १९५५–५६ में ३०,८०० टन और १९५६–५७ में ३१,००० टन का निर्यात हुआ था।

†**श्री वें० प० नायर**: माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार कच्चे काजू का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि अमुक तिथि तक आवश्यक कच्चा काजू देश में पैदा होने लगेगा। हमें पता है कि काजू का वृक्ष ६ वर्ष के बाद फल देता है और यदि हम १००,००० एकड़ भूमि पर इसके वृक्ष लागवायें तभी जाकर हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती है।

†**श्री कानूनगो** : हमने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है किन्तु हमने एकड भूमि का लक्ष्य बना रखा है और दक्षिण के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हो ही रही है।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : प्रत्येक वर्ष हम कितने कच्चे काजू का आयात करते हैं और किन किन देशों से करते हैं। क्या वे क्षेत्र कठिनाई से मिलने वाली मुद्रा के क्षेत्र हैं या आसानी से मिलने वाली के ?

†**श्री कानूनगो** : अधिकतर हम आयात पूर्वी अफ्रीका से करते हैं अर्थात हमारी ६० प्रतिशत आवश्यकतायें।

†**श्री दासप्पा** : हमारे आयात की कमी के क्या कारण हैं ; क्या कोई अन्य राज्य भी काजू तैयार करने को उद्यत है ?

†**श्री कानूनगो** : तैयार करने के लिये पर्याप्त सामग्री ही नहीं है।

†**श्री दासप्पा**: : मेरा आशय यह है कि हम अफ्रीका से पूरा आयात क्यों नहीं करते क्या किसी अन्य देश में भी यह तैयार किया जाता है .

†**श्री कानूनगो**: : अफ्रीका के अतिरिक्त किसी अन्य देश में काजू का उत्पादन नहीं होता। हम आयात उसी देश से करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** क्या यह सच नहीं है कि सारे कच्चे काजू का आयात तीन या चार बड़े बड़े लोग करते हैं जो कि पहले ही कीमतें निर्धारित कर लेते हैं और क्या सरकार यह भी कार्यवाही कर रही है कि अन्य लोग भी आयात कर सकें ?

†**श्री कानूनगो :** वास्तव में समस्त आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं को दी जाती है।

†**श्री वें० प० नायर :** नहीं, नहीं ।

लाभ से बोनस को अलग करना

†*६८६. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य-सरकारों को सूचना दी है कि लाभ को बोनस से अलग करने तथा इसे उत्पादन से मिलाने की उनकी योजना को पहले वास्तविक स्वरुप दिया जाये और उसके बाद ही इसे राष्ट्रीय श्रम संगठनों के पास समर्थनार्थ भेजा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य-सरकारों ने इस पर ठीक प्रतिक्रिया की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां।

(ख) हाल ही में हुये श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसरण में इस प्रश्न पर टेकनिकल दृष्टि से विचार किया जायेगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के श्रमिक भी इसी योजना में सम्मिलित हैं ?

†**श्री आबिद अली :** बोनस को उत्पादन से मिलाने की योजना है। इसके लिये कोई सूत्र निकालना पड़ेगा और शेष बात संगठनों पर ही छोड़ी जायेगी कि वे आवश्यकतानुसार कार्यवाही करें।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या गैर सरकारी उद्योग भी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे ।

†**श्री आबिद अली :** प्रत्येक उद्योग आयेगा ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा) :** इस सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रश्न सरकार की उस योजना के बारे में या जिससे लाभ और बोनस को अलग करके उत्पादन का महत्व बढ़ेगा। उत्तर से यह प्रतीत हुआ कि शायद लाभ और बोनस का सम्बन्ध ही न रहे। हम इसे उत्पादन से तो मिलाना चाहते ही हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यह अनिवार्य रूप से लाभ से अलग होगा। बोनस का लाभ से तो सम्बन्ध रहेगा ही और उसका वितरण उत्पादन से मिल जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र का प्रश्न विभिन्न प्रकार से लिया जायगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या सरकार को पता है कि एक उद्योग में बोनस के निर्धारण के लिये किसी संविहित उपबन्ध की अनुपस्थिति में उस काम के लिये कठिनाई होती हैं और क्या सरकार ऐसे उपबन्ध करना चाहती है ।

†**श्री आबिद अली :** जहां तक बोनस का सम्बन्ध है इस प्रकार के उपबन्ध नहीं हैं। पारस्परिक बातचीत एवं मंत्रणा से ये काम किये जाते हैं और जहां निर्णय आदि की आवश्यकता होती है वहां इन मामलों को निर्णय के लिये भेज दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या बोनस के स्थान पर मुफ्त अदायगी की कोई योजना है ?

†**श्री आबिद अली** : किस के द्वारा ?

†**श्री शिवनंजप्पा** : कारखानों द्वारा ।

†**श्री आबिद अली** : मैं ने कह तो दिया है ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : बोनस के दिये जाने के लिये किसी संविहित सिद्धान्तों के न होने के कारण पर्याप्त कठिनाई होती है इस लिये क्या सरकार कोई ऐसे सिद्धान्त निर्धारित करना चाहती है जिसके फलस्वरूप किसी उद्योग में बोनस दिया जा सके ?

†**श्री आबिद अली** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : माननीय मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में दूसरे तरीके से काम होगा । अर्थात् उन्हें बोनस नहीं मिलेगा । तब जब इन कारखानों में अधिक लाभ होगा तो भुगतान किस भांति से किया जायेगा ?

†**श्री नंदा** : अच्छे काम के लिये इनाम देने के लिये उचित तरीके अपनाये जा रहे हैं ।

त्रिपुरा में छोटे पैमाने के उद्योग

†***६८७. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में (१) कागज का गूदा (२) मोटरों, साइकलों तथा साइकल रिक्षाओं के पुर्ज़े (३) टाइप फाउंडरी तथा चीनी के उद्योग की मशीनें आदि बनाने के लिये वहां एक छोटे पैमाने के वर्कशाप बनाने की गुंजाइश है ;

(ख) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई प्रस्थापना भेजी है; और

(ग) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने महाराजा कालेज दिल्ली के दियासलाई कारखाने के पुनः आरम्भ करने के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता की प्रार्थना की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) त्रिपुरा में कागज के गूदा के छोटे कारखाने के वर्कशाप बनाने की गुंजाइश है । अन्य चीज़ों के बनाने की गुंजाइश नहीं है ।

(ख) तथा (ग). नहीं, श्रीमान् ।

विदेशों में भारतीय राजदूतावास

***६८९. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय राजदूतावासों में राष्ट्रीय झंडा किन किन अवसरों पर फहरांया जाता है ;

(ख) क्या विदेशों में भारतीय राजदूतावासों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिये समारोह तथा अन्य अवसरों के लिये कोई वर्दी निर्धारित है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) स्थानीय व्यवहार के अनुसार विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों और अन्य मिशनों तथा केन्द्रों पर राष्ट्रीय झंडा हमेशा फहराया जाता है ।

(ख) तथा (ग). विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में काम करने वाले लोगों के लिये जो पोशाक निर्धारित की गई है वह इस प्रकार है :—

रस्मी मौकों के लिए :

काली शेरवानी और सफेद या मोतिया रंग का चूड़ीदार पाजामा गर्मियों के मौसम में, शेरवानी सफेद या मोतिया रंग की भी हो सकती है ।

कुछ कम रस्मी मौकों और शाम की पार्टियों के लिए :

छोटा बन्द गले का काला कोट और सफेद पतलून

गर्मियों के मौसम में सफेद या मोतिया रंग के कोट के साथ काली पतलून पहनी जा सकती है ।

चावड़ा[५] में खनिज उद्योग

†*६९०. **श्री कोडियान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य में चावडा के खनिज उद्योग का विस्तार करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) तथा (ख). अक्तूबर, १९५६ में एक नई कम्पनी त्रावणकोर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड, स्थापित हुई थी इसमें भारत तथा त्रावनकोर कोचीन सरकार के बराबर के अंश थे। उत्पादन प्रणाली के सुधार ने तथा रेत में से विभिन्न खनिजों के निकालने आदि के लिये उद्योग के वैज्ञानिकन करने की योजना है ।

†**श्री कोडियान** : इनके विकास के लिये सरकार द्वितीय पंज वर्षीय योजना में कितना धन व्यय करना चाहती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : क्या चावड़ा में चल रहे सभी कारखानों को सरकार लेना चाहती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वह तो पहले से ही त्रावनकोर मिनरल लिमिटेड के अधीन हैं जिसमें केरल तथा भारत सरकार दोनों हैं ।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** : एक कम्पनी शायद विदेशियों के हाथों में थी क्या सरकार उसे लेना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[५]Chavara.

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** एक कम्पनी है जिसके मालिक मैसर्ज हापकिन्स विलियम्स (त्रावनकोर) हैं। जब सरकार आवश्यक समझेगी इसे ले लेगी। यदि इस समय इसे ले लिया जाये तो उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

†**श्री वें० प० नायर :** जब कारखाने के विस्तार की योजना पूरी तरह है तो कितने लोगों को रोजगार मिल जायेगा।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** इन कारखानों से अधिक रोजगार की व्यवस्था न होगी थोड़ी बहुत होगी।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** विदेशियों द्वारा खान का पट्टा कितनी देर से है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** त्रावणकोर मिनरल कम्पनी से पहले जो खानें पहले चल रही थीं क्या उन्हें कोई मुआवज़ा दिया गया है, यदि हां, तो कितना ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुआवज़े के बारे में—

†**उपाध्यक्ष महोदय :** पूर्व सूचना।

†**श्री वें० प० नायर :** चावड़ा ग्राम में इस खनिज के निकालने वाले तीन कारखाने थे जिनमें से तीन सरकार ने ले लिये हैं। शेष कब लिये जायेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका उत्तर दिया जा चुका है जब ठीक समझेंगे तभी लेंगे।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास

*६९२. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या **योजना** मंत्री २ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न् संख्या १०९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिये किसी योजना के बारे में वहां की सरकार से इस बीच कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या योजना की कोई प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा–सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). अगले वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास की अभी तक कोई योजना प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सन् १९५८–५९ के लिए राज्य सरकारों की विकास योजनाओं के साथ इनके शीघ्र ही मिलने की आशा है क्योंकि राज्य सरकारों की विकास योजनाओं पर योजना आयोग के साथ १० तथा ११ जनवरी, १९५८ को विचार विमर्श होना है।

श्री सरजू पांडे : क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की खराब आर्थिक अवस्था को देखते हुए केन्द्रीय सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ल० ना० मिश्र : जी हां, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अनेक योजनायें हैं, पंच वर्षीय योजना में भी उसके लिए योजनायें बनायी गयी हैं, और वहां के मुख्य मंत्री का पत्र आने पर अभी हाल में उनको नई राशि भी दी गयी है ।

श्री सरजू पांडे : क्या श्री गेंदा सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के विधायक हैं प्रधान मंत्री से इस सम्बन्ध में मिले थे और प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किसी योजना का सुझाव दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इनफारमेशन तो यहां नहीं होनी चाहिए । यह तो बताना मुश्किल है कि चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था ।

श्री सरजू पांडे : उनकी यहां प्रधान मंत्री से मुलाकात हुई थी ।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे तो यह सूचना नहीं है कि गेंदासिंह साहब प्रधान मंत्री जी से मिले । यहां से टीम के लोग गए थे, उन से मिले थे और बातें हुई थीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास कार्य रिहंद बान्ध की पूर्ति पर आधारित है और यदि हां तो इस योजना को योजना के महत्वपूर्ण भाग में सम्मिलित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उन्हें पूरा किया जा सके ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : रिहंद बान्ध पर अत्यन्त प्राथमिकता दी जा रही है और इसे अमेरिका विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है । हमें आशा है कि हम आवश्यक विदेशी मुद्रा का सम्भरण इसी वर्ष में कर सकेंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार ने आफिसर्ज की एक कमेटी पूर्वी जिलों की आर्थिक दशा की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिये भेजी है और अगर भेजी है, तो कमेटी की रिपोर्ट कब आने की उम्मीद की जाती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : अभी तक तो रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, लेकिन वह शीघ्र ही तैयार हो जायेगी ।

श्री विश्व नाथ राय : पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा पर ध्यान रखते हुये क्या कोई आदेश केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार के पास भेजा गया है कि वह जल्दी से जल्दी कोई योजना शुरू करें, और अगर ऐसा हुआ हो, तो कब तक उस को शुरू करने की बात की जायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रान्तीय सरकार खुद ही पूर्वी जिलों के लिए बहुत मुस्तैद है । सब नई नई स्कीमें आई हुई हैं और नए रुपए की मांग की गई थी और प्रधान मंत्री के कहने पर नई रकम दी गई है ।

श्री विश्व नाथ राय : रकम कितनी है ?

श्री ल० ना० मिश्र : ५.१२ लाख की मांग की गई थी । सड़को वाली मांग को छोड़ कर सभी मांगें मंजूर हुई और वह रकम करीब २.१२ लाख होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा** : क्या सरकार का ध्यान अशोक मेहता जांच समिति के प्रतिवेदन के अध्याय १० की ओर विशेष रूप से धारा २ की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाये ।

†**श्री दासप्पा**: : यह योजना के अन्तर्गत आता है । योजना समस्त बातों की है ।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : हमारा ध्यान उस पहलू पर दिलाया गया है और उस पर विचार किया जायेगा ।

आकाशवाणी प्रसारण

†*६९३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी**: : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवानी के केन्द्रों से प्रसारण की अवधि में कुछ कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी बचत होने की आशा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् । ३-११-१९५७ से यह कार्यवाही हुई है ।

(ख) इस समय यह बताना असंभव है कि बचत कितनी हुई है या होगी ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: कितनी कमी की जानी है ?

†**डा० केसकर** : विभिन्न स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार से कमी की जा रही है । इस सम्बन्ध में सामान्य निर्देश यह है कि कमी ऐसे समय में की जाये जबकि स्टेशन के सामान्य कार्यक्रम में बाधा न पड़े ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इसी के परिणाम स्वरूप मद्रास स्टेशन से तेलगू में जो प्रसारण होता था वह अब ४० प्रतिशत पहले की तुलना में रह गया है ?

†**डा० केसकर**: यह बताना संभव नहीं है कि क्या तेलगू में प्रसारण कम कर दिया गया है किन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तेलगू से कोई मतभेद नही किया जा रहा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: : क्या इस कमी के ढंग से नये कलाकारों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि रेडियो पर गा कर ही प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करतें हैं ?

†**डा० केसकर**: नहीं श्रीमान् । यह तो स्पष्ट है कि यदि कार्यक्रमों में थोड़ी सी भी कमी की जाती है तो उसके अनुसार थोड़े ही कलाकार बुलाये जायेंगे किन्तु कार्यक्रमों में ऐसे समय में ही कमी की गई है जब कि सुनने वाले बहुत ही कम होते है अर्थात् प्रातःकाल में या रात को देर में । अनुभव से सभी स्टेशनों वालों ने यह अनुभव किया है कि यह संभव है कि उस समय सुनने वाले बहुत ही कम होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ:** क्या इस प्रसारण के कार्यक्रम में कमी के कारण नियमित कर्मचारियों की नौकरी पर भी कोई प्रभाव पड़ने का भय है ?

†**डा० केसकर:** : नहीं श्रीमान्, बिल्कुल नहीं ?

†**श्री आचार:** क्या कुछ ही स्टेशनों पर कमी की गयी है या सब पर ही, यदि हां, तो किन सिद्धान्तों के अनुसार ?

†**डा० केसकर:** : बहुत से स्टेशनों में यह किया गया है अर्थात् शिमला, इन्दौर-भोपाल, जम्मू-श्रीनगर, राजकोट-धारवाड़।

भारतीय वायु बल के असैनिक कर्मचारी

***६९५. श्री स० म० बनर्जी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि भारतीय वायु बल के असैनिक कर्मचारियों को श्रम विधान के अन्तर्गत न रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

†**श्री ल० म० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञान है कि वायु बल संस्थापनों में बातचीत करने वाली 'मशीनरी' तथा श्रमिक समितियां कार्य नहीं कर रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस मामले पर प्रतिरक्षा मंत्रालय से बातचीत की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को पुनः कहेंगे ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : असैनिक कार्यों के लिये प्रतिरक्षा संस्थापनों में बातचीत करने वाली एक 'मशीनरी' की स्वीकृति है, परन्तु दुर्भाग्य से यह 'मशीनरी' और श्रमिक समिति (वर्कस कमिटी) वायु बल संस्थापन में कार्य नहीं कर रही । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले पर कोई नियमित पद्धति निर्धारण करने की दृष्टि से प्रतिरक्षा मंत्रालय से बातचीत की गयी है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : प्रतिरक्षा मंत्रालय से कुछ बातचीत चल रही है, परन्तु इस विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि असैनिक कर्मचारियों को श्रम विधान की परिधि से बाहर निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मजूरी भुगतान अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम नौसेना और वायु बल के असैनिक कर्मचारियों पर लागू है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र:** : माननीय सदस्य को पता होगा . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय:** यह तो कानून लागू करने के सम्बन्ध में है, मंत्री महोदय द्वारा इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं ।

चीनी उद्योग का वेतन बोर्ड

†*६९६. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री काशीनाथ पांडे:
श्री सरजू पांडे :
श्री संगण्णा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उपमंत्री द्वारा गत सत्र में यह घोषणा की गई थी कि चालू अधिवेशन से पूर्व ही चीनी उद्योग के लिए वेतन बोर्ड की नियुक्ति हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण में देरी का कारण क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे पता चला है कि माननीय सदस्या कृष्णा मेहता बीमार हो गई हैं । लोक-सभा पांच मिनट के लिए स्थगित होगी और पुनः पांच मिनट बाद बैठक होगी ।

लोक सभा १५.२३ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[लोक सभा १५.२३ बजे पुनः समवेत हुई]

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री अपना उत्तर पुनः पढ़ेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : मैं ने कहा था, (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कुछ और बताना चाहते हैं ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इस उत्तर के तैयार किये जाने के बाद भी मामल पर आगे विचार किया गया है ; और यह निश्चय हो ही गया है कि बहुत शीघ्र लगभग तुरन्त ही वेतन बोर्ड की स्थापना कर दी जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इसके लिए कितना समय लगेगा ?

†**श्री नन्दा** : जितना कि सामान्य औपचारिक बातों को पूरा करने में लगता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० बिट्ठल राव :** मैं जानना चाहता हूं कि श्रमिक संघों के कितने प्रतिनिधि इस बोर्ड में लिये जायेंगे ?

†**श्री आबिद अली :** यह मामला भी विचाराधीन है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** वेतन बोर्ड के श्रमिक प्रतिनिधियों के चुनने का आधार क्या होगा ?

†**श्री आबिद अली** : यही तो मैं ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह भी विचाराधीन है ।

चल सम्पत्ति पर भारत–पाक समझौता

*६९७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री ५ अगस्त १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चल सम्पत्ति सम्बन्धी भारत-पाक समझौते के कार्यान्वित होने में आगे कुछ प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : डाकखाने की कुछ प्रमाणित हिसाब और प्रमाण पत्रों सम्बन्धी सूचियों का विनिमय हुआ है । जमीन में गढ़े धन और घरेलू और निजी चीजें प्राप्त करने की ओर भी कुछ प्रगति हुई है । २८ अक्तूबर १९५७ को निष्क्रान्त अग्न्यस्त्रों का भी विनिमय हुआ ।

†**श्री दी चं० शर्मा** : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि का सामान भारत और पाकिस्तान में गढ़ा हुआ मिला ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक गढ़े हुए धन का सम्बन्ध है हम ने लगभग २,०१० स्थानों पर खोज की और १,२०० स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई और इन सब का मूल्य लगभग ६४.४८ लाख होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कुल कितनी राशि के प्रमाण पत्र पाकिस्तान से प्राप्त हुए ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कौन से प्रमाण पत्र ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आप ने स्वयं अपने उत्तर में डाकखाने के प्रमाणपत्रों का उल्लेख किया है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक इस चीज़ का सम्बन्ध है अगस्त १९५७ से अक्तूबर १९५७ तक के समय तक कुल २१ लाख के प्रमाणपत्र हमें प्राप्त हुए हैं । इसी समय में हम ने ७.१५ लाख के प्रमाणपत्र पाकिस्तान भेजे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह करार कब तक चलेगा क्या इस की कोई अवधि-निर्धारित होगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह करार कुछ समय से चल रहा है और इस के अन्तर्गत हम ने घरेलू वस्तुयें और धन निकाला है । मैं नहीं कह सकता हूं कि भारत को इस से बिलकुल ही लाभ पहुंचा है । इस से पाकिस्तान को भी लाभ हुआ है । और मैं अगले मास कराची जा रहा हूं ताकि इस करार को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन सी चीजें और रह गई हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जिन चीजों को हम अभी पाकिस्तान से प्राप्त नहीं कर सके वे "सेफ़ डपोजिट्स" और "लाकर्स" हैं। हमारी ओर बैंकों के हिसाब हैं ये दो प्रमुख चीजें हैं जिन पर अभी कोई प्रगति नहीं हुई वह संयुक्त स्कन्ध समवाय है ।

अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण

+

†*६९८. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वियना में हाल ही में हुई अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण की प्रथम बैठक में किन किन विषयों पर विचार किया गया ;

(ख) भारत ने कौन से विषयों को प्रस्तुत किया ; और

(ग) इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय किये गये ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ग). एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३**].

यह सम्मेलन अक्तूबर १९५७ को वियना में हुआ। यह अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण का आधारभूत सम्मेलन था । इस में प्रक्रिया और संस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमों और अभिकरण के प्रथम वर्ष के बजट के बारे में विचार किया गया ।

(ख) सम्मेलन के समक्ष जो आधारभूत दस्तावेज़ थी उन पर काफी विस्तार से प्रारम्भिक आयोग द्वारा विचार किया गया। और बाद में गवर्नरों के बोर्ड ने उसकी छानबीन की। इन दोनों निकायों पर भारत के प्रतिनिधि विद्यमान थे ।

प्रारम्भिक आयोग और गवर्नरों के बोर्ड में भारत द्वारा जो जो बातें की गईं और जो प्रस्थापनायें प्रस्तुत की गईं वे इतनी अधिक हैं कि यहां नहीं बताई जा सकतीं। सामान्यता हम ने बहुत ही सक्रिय भाग लिया और जिन प्रस्थापनाओं को अन्त में सम्मेलन ने स्वीकार किया उनके लिये हम ने पूरी सहायता दी। और इन स्वीकृत प्रस्थापनाओं के रूप से तथा उनके हमारी विचारधारा को स्वीकार करने से पता चलता है कि हमारा उस सम्मेलन के कार्य में कितना हाथ है।

†**श्री राधा रमण** : क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति आयोग की वर्तमान अवस्था क्या है सदस्य राष्ट्रों के नाम और अंशदान ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह तो लम्बी सूची है क्या मैं उसे पढ़ूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि यह लम्बी है तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं इसकी प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जा सकती है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : ६० देश हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत का भाग इस में उसी प्रकार का है जिस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ में है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वक्तव्य के पैरा १० में यह कहा है :

"अभिकरण के कार्य में संसार के अविकसित राष्ट्रों के लोगों के जीवन स्तर को उठाने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी ।"

क्या इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: ठीक है इसका सम्बन्ध अणुशक्ति का असैनिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग करना है ।

†**श्री राधा रमण** : वक्तव्य में कहा गया है कि गवर्नरों के बोर्ड के दस सदस्य होंगे । इस बोर्ड का निर्माण कैसे होगा और क्या भारत को इस में प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस काम को मूल रूप में आरम्भ करने वालों का ही गवर्नरों का बोर्ड बन गया था ।

मिस्र को चाय का निर्यात

†*६९९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि स्वेज नहर के संकट के समय भारत से जो चाय मिस्र भेजी गई थी वह वहां पहुंच तो गई परन्तु मिस्र के आयातकों ने उसे छड़वाया नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो इन लदानों की अब स्थिति क्या है ; और

(ग) क्या भारतीय निर्यातकों को अपनी रकम की वसूली हो गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग) . केवल एक ही चाय का लदान स्वेज संकट के समय संक्रमण में था । परन्तु चाय के लगभग ७० लदान अगस्त १९५६ से मार्च १९५७ तक मिस्र भेजे गये थे । इन लदानों को बाद में मिस्र सरकार ने अधिगृहीत कर लिया था । इन लदानों के बिलों की लगभग ७५ प्रतिशत अदायगी भारतीय निर्यातकों को हो चकी है । बाकी अदायगी भी सम्बद्ध मिस्री अधिकारियों द्वारा आवश्यक पड़ताल के बाद शीघ्र होने की आशा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भेषज उद्योग

†*६७८. **श्री इ० ईयाचरण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेजर जनल एस० एस० सोखे की सरकारी क्षेत्र में रूसी सरकार के सहयोग से भेषज उद्योग आरम्भ करने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रूसी सरकार से इस सम्बन्ध में आवश्यक सामान और प्रविधिक सहायता उपलब्ध हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) सरकारी क्षेत्र में कुछ आधारभूत भेषजों के निर्माण के लिये संयंत्र लगाने का कार्य अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रासी लुंगिया

†*६७९. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों को मद्रासी लुंगियों का निर्यात होता है उनके नाम क्या हैं और

(ख) १९५७-५८ में किस प्रकार की कितनी लुंगियां निर्यात की गईं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ख) . विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४**].

नमक

†*६८०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नमक बनाने के लिये काश्मीर में लेह से १०० मील पूर्व की ओर १४००० फुट की ऊंचाई पर पौंग कौंग झील के जल का परीक्षण किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: यह ज्ञात हुआ है कि जम्मू और काश्मीर की सरकार इस पौंग कौंग झील के जल से नमक बनाने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

*६८२. **श्री ह० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड, जो कि १६ अगस्त, १९५५ को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली गई थी, अभी सरकार के अधीन ही काम कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को १९५७–५८ में कितनी हानि हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) जी, हां ।

(ख) फैक्टरी का माली साल केवल ३ महीने पहले १ अगस्त १९५७ को शुरू हुआ है । १९५७–५८ में इसकी माली हालत की जांच करने के लिये यह समय बहुत कम है । सरकारी प्रबन्ध में १९५५–५६ में फैक्टरी को मामूली सा लाभ हुआ था । १९५६–५७ के लेखे तैयार किये जा रहे हैं और कम्पनीज़ ऐक्ट की धारा ६३९(१) के अनुसार फैक्टरी की सालाना रिपोर्ट तथा जांचा हुआ बैलेन्स शीट संसद के सामने रख दिया जायेगा ।

प्रसूति लाभों के आदर्श नियम

†*६८५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रसूति लाभों के जिन आदर्श नियमों को परिचालित किया था, उसे कितने राज्यों ने अपनाया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन नियमों के प्राप्त होने पर पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने प्रसूति लाभ विधानों में कोई संशोधन किये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) नहीं, वे मामले पर विचार कर रहे हैं।

मद्रास में बीड़ी के कारखाने[1]

†***६८८. श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य के बीड़ी के कारखानों के काम की शर्तों का विनियमन करने के लिये कोई विधेयक स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुरक्षा परिषद्

†***६९१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि संयुक्त राज्य महासभा के समक्ष सुरक्षा परिषद के विस्तार का कोई प्रस्ताव है, ताकि भौगोलिक आधार पर समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढाने का प्रस्ताव है।

कच्चा लोहा

*७००. { **श्री विभूति मिश्र:**
श्री अ० सिं० सहगल:
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५७ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक प्रत्येक देश से कितना और कितनी कीमत का कच्चा लोहा मंगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : सदन की मेज पर एक विवरण उपस्थित किया जाता है जिसमें अप्रैल १९५७ से अगस्त १९५७ तक निर्यात किये गये लोह खनिज का परिमाण और मूल्य दिखाया गया है। [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ५**] बाद के महीनों की जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर उपस्थित कर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Beedi Industrial Premises.

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

*७०१ **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३१ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के जनरल मोटर्स कारपोरेशन के साथ मिल कर ट्रक बनाने की हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड की परियोजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) देश की ट्रकों सम्बन्धी आवश्यकतायें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हिन्दुस्तान मोटर्स की प्रार्थना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गयी है ।

(ख) लगभग ४०,००० ट्रक और बसें १९६०–६१ तक चाहियें ।

सुन्दरवन में भूमि का कृष्यकरण

†*७०२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापितों के पुनर्वास के लिये सुन्दरवन में भूमि के कृष्यकरण की योजना ने क्या प्रगति की है ;

(ख) अब तक कृष्यकरण किये गये क्षेत्रों के नाम और उनका क्षेत्रफल क्या है ;

(ग) भूमि दिये जाने वाले परिवारों की संख्या क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिये अब तक कितनी धन राशि स्वीकृत की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) अभी तक किसी योजना को स्वीकृति नहीं दी गयी । सुन्दरवन के कुछ भाग के कृष्यकरण के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कांगड़ा में चाय के बागान

*७०३. **श्री भवौरिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कांगड़ा प्रदेश में हरी चाय के स्थान पर काली चाय की खेती प्रारम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). पता चला है कि पंजाब सरकार कांगड़ा में चाय का उत्पादन तथा उसकी बिक्री-व्यवस्था सुधारने का विचार कर रही है । इसमें और बातों के साथ काली चाय का तैयार करना भी शामिल होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्मिक संघों का विश्व संधान[1]

†*७०४. **श्री तंगामणि**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने लेपजिग में होने वाले कार्मिक संघों के विश्व संघान में भाग लेने के लिये पारपत्र सुविधायें प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिया था ;

(ख) कितने लोगों को पारपत्र प्रदान किया गया ; और

(ग) कितने लोगों को पारपत्र देने से इन्कार कर दिया गया ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां ।

(ख) ७ को ।

(ग) १० को ।

"शति" खाद्य

†७०५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ७ मई, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या २३०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में "शति" खाद्य के निर्माण सम्बन्धी प्रयोग करने के लिये ६००० रुपये की जो राशि स्वीकृत हुई थी, क्या उस पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग को योजना प्रस्तुत करने वाले गैर-सरकारी सार्थ को कुछ राशि दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, जी ।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई राशि किसी गैर सरकारी सार्थ को नहीं दी गयी ।

(ग) योजना आयोग तथा त्रिपुरा राज्य प्रशासन की सिफारिश पर भारत सरकार ने १९५३–५४ में ६००० रुपये की राशि "शति" खाद्य निर्माण करने के लिये एक सौ मशीनें तथा उससे सम्बन्धित सामान खरीदने के लिये मंजूर की थी । इस राशि का उपयोग इन मशीनों के वितरण करने वाले ५ प्रदर्शनकर्ताओं के वेतन पर किया जाना था । ये मशीनें अगरतला के आसपास के १०० देहातियों को मुफ्त बांटी जानी थीं ।

परन्तु योजना के अविकारक श्री बोडमिक से भी समुचित मशीनें उपलब्ध न होने पर यह राशि भी ही न गयी और अन्त में वह व्यपगत हो गई ।

अल्युमिनियम

†*७०६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अल्युमिनियम की वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ख) कनाडा से कितना वार्षिक अथवा कुल कितना अल्युमिनियम प्राप्त होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]World Federation of Trade Union.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चालू वर्ष में सभी प्रकार की आवश्यकताओं के लिये १५००० टन अल्युमिनियम का अनुमान है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए नियुक्त दल

†*७०७. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री सरजू पांडे :
श्री प्रभात कार :
श्री घोषाल:
श्री त्रि० कु० चौधरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० एस० शिवरमण के नेतृत्व में योजना आयोग द्वारा स्थापित सरकारी दल ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अपना कार्य कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली

†*७०८. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री सं० वें० रामस्वामी :
श्रीमती गंगा देवी :
श्री आसर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाटों और मापों की दाशमिक प्रणाली को चालू करने के लिये भारत सरकार के विभिन्न विभागों ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किये जाने वाले सब प्रबन्ध कब तक पूरे हो जावेंगे ;

(ग) क्या रेलवे आदि सरकारी विभागों में जो वर्तमान तराजू तथा नाप-तोल की मशीनें हैं उन्हें ही परिवर्तन चक्रों (कनवरजन टेबल) की सहायता से काम में लाया जायेगा या नये तराजू या नाम-तोल की नई मशीनें लगाई जायेंगी ; और

(घ) पुराने तराजुओं और नाप-तोल की मशीनों के स्थान पर नये तराजुओं तथा नाप-तोल की नई मशीनों के लगाने में संघ सरकार को अनुमानत: कितना धन व्यय करना पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रबन्ध इस प्रकार किया जायेगा कि दिसम्बर, १९६६ से दाशमिक प्रणाली को पूरी तरह से अपना लिया जाये जैसी कि बाटों और मापों के प्रमाप अधिनियम, १९५६ में व्यवस्था की गई है ;

(ग) जहां तक सम्भव होगा वर्तमान तराजुओं और नाप-तोल की मशीनों को दाशमिक प्रणाली में बदल लिया जायेगा । जब तक दाशमिक प्रणाली में इन्हें बदलने का काम पूरा नहीं होगा, तब तक इन्हीं मशीनों के परिवर्तन चक्र (कनवरजन टेबल) की सहायता से इस्तेमाल किया जायेगा ।

(घ) हमें अभी पता नहीं कि कितनी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने की आवश्यकता होगी । कुछ मशीनों को तो बदलना ही होगा । अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि इसमें कितना धन व्यय होगा ।

निर्यात व्यापार

†*७०९. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी वस्तुयें हैं जिनके निर्यात को सरकार ने देश में उनकी खपत पर रोक लगा कर, प्रोत्साहन दिया है ;

(ख) इन रोकों का क्या प्रभाव होगा ; और

(ग) इन वस्तुओं की कीमतों को देश में विनियमित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) से (ग). निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कोई भी सीधी रोक नहीं लगाई गई है फिर भी चूंकि वस्त्रों और चीनी आदि पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है अतः आशा है कि चीजें काफी मात्रा में निर्यात के लिये उपबन्ध होंगी ।

रद्दी रुई का निर्यात

†*७१०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के मिलों में बची हुई रद्दी ई का निर्यात जो जापान को होता था क्या उसमें बहुत कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) क्या मिलों में बची रद्दी रुई के जापान को निर्यात में आगे कमी को रोकने के लिये सरकार कोई उपाय करना चाहती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५६–५७ में भारत से रद्दी रुई का जो निर्यात जापान को हुआ वह उसके पहले के वर्ष के निर्यात की मात्रा से बहुत कम था ।

(ख) निर्यात करने वाले अन्य देशों का मुकाबिला ।

(ग) सरकार स्थिति पर सावधानी से विचार कर रही है और जब आवश्यकता पड़ेगी तब आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान से अनुसूचित जातियों के लोगों का प्रव्रजन

†*७११. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हरिजनों और सिक्खों को भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय से जो प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिये जाते हैं उन्हें पाकिस्तान की सीमा पर उनके प्राधिकारी स्वीकार नहीं करते ;

(ख) इसका क्या कारण है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको भारतीय उप-उच्चायुक्त के कार्यालय से प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिये गये थे पर पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने उन्हें प्रव्रजन नहीं करने दिया ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). पाकिस्तानी प्राधिकारी प्रव्रजकों को, विशेषतया अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के प्रव्रजकों को, सीमा के पार आने देने की अनुमति नहीं देते जब तक कि प्रव्रजक उन्हें भारतीय उप-उच्चायुक्त के प्रमाण पत्र के साथ कर-मुक्ति प्रमाणपत्र तथा पुलिस जांच रिपोर्ट भी न दिखा दें।

(ग) २९ प्रव्रजकों को सीमा पार नहीं आने दिया। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, १९५७ में ३५२ हरिजनों को, जिनके पास वे सभी अभिलेख थे जो पाकिस्तानी प्राधिकारी चाहते थे, सीमा पार आने की अनुमति दी गई।

हल्दी

†*२६८. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दी के मूल्य का स्तर बनाये रखने के लिये क्या उपाय किये गये और उसका क्या परिणाम हुआ ; और

(ख) भारतीय हल्दी के लिये नये बाजार ढूंढने में सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर में बताया गया था कि वायदा बाजार आयोग ने एक द्वैध रक्षण की व्यवस्था की है कि यदि मूल्य एक निर्धारित सीमा से नीचे गिर जायेगा तो वायदा बाजार के विक्रेताओं को कुछ विशेष सीमान्त देय देना होगा। यद्यपि इस कारण मूल्यों में कुछ सीमा तक स्थिरता आ गई है पर हल्दी के मूल्यों में गिरावट का मूल कारण यह है कि इन वर्षों में हल्दी का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। १९५३-५४ में इस का उत्पादन ११७,००० टन था पर १९५५-५६ में १५६,००० टन हो गया है। १९५६-५७ में और अधिक उत्पादन होने की आशा है।

(ख) हमारी हल्दी के पुराने बाजार लंका, अदन, ईरान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमरीका, मलाया, फ्रांस, जापान और केनिया हैं और हाल के वर्षों में इन देशों ने काफी मात्रा में हल्दी का आयात किया है। १९५५-५६ और १९५६-५७ में हमारे निर्यात का ब्योरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

तम्बाकू उद्योग

†*२७८. **श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तम्बाकू बाजार में कुछ मन्दी आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी प्रकार के भारतीय तम्बाकू के लिये नये बाजार ढूंढने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†९१२. **श्री दशरथ देब** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की बड़तिल्ला बस्ती में कितने विस्थापित व्यक्तियों को खेती का काम दे कर बसाया जा चुका है ; और

(ख) उनको कुल कितने एकड़ भूमि दी गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**:(क) १०० परिवार ।

(ख) लगभग २०० एकड़ ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

†९१३. **श्री दशरथ देब**: : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोवाई, त्रिपुरा में ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति हैं जिन को ऋण स्वीकृत हो गये हैं पर अभी उनका भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) ऐसे ऋणों की कुल राशि कितनी है ;

(ग) स्वीकृत ऋणों के भुगतान न करने का क्या कारण है ; और

(घ) इन स्वीकृत ऋणों का जल्दी भुगतान करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**:(क) २१८ परिवार ।

(ख) २·७७ लाख रुपये ।

(ग) भूमि के स्वामित्व तथा बन्धकों की लिखापढ़ी में त्रुटियां ।

(घ) त्रिपुरा प्रशासन के पास काफी निधि रख दी गई है और भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटियों के दूर होते ही ऋणों का भुगतान कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जोगेन्द्रनगर कोलोनी, त्रिपुरा

†९१४. **श्री दशरथ देव:** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष से अधिक समय पूर्व त्रिपुरा की जोगेन्द्रनगर शरणार्थी कालोनी में रस्तों के बनाने की कोई योजना स्वीकृत हुई थी ;

(ख) क्या इस योजना को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस योजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, अभी हाल में वहां काम शुरू हो गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्रामीण आवास योजनायें

९१५. **श्री ह० चं० शर्मा:** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने राज्यों ने अपनी ग्रामीण आवास योजनायें प्रस्तुत कर दीं हैं ;

(ख) राजस्थान सरकार ने कितनी योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ग) उन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस काम के लिये राजस्थान को अब तक कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) तथा (ख). एक भी नहीं ।

(ग) तथा (घ). सवाल पैदा ही नहीं होता ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†९१६. **श्री भगवती :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों को आवंटित की गई कुल राशि में से राज्य सरकारों ने, राज्यवार, १९५६-५७ और १९५७-५८ के लिये ऋण और सहायक अनुदानों के रूप में कितनी-कितनी राशि मांगी ;

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ (अब तक) के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के लिये, राज्यवार, कितनी-कितनी राशि मंजूर की ;

(ग) १९५६-५७ में राज्य सरकारों ने कितनी राशि खर्च की ;

(घ) क्या किसी राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति में इस कारण विलम्ब हुआ है कि राज्य सरकारों को वार्षिक प्राक्कलन स्वीकृत करने में देर हो गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) राज्य सरकारों से इस रूप में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। प्रत्येक राज्य के लिये हर वर्ष उसकी वार्षिक योजना और केन्द्रीय सरकार के साधनों को देखते हुए केन्द्रीय सहायता संगणित की जाती है।

(ख) और (ग). दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८**]। विवरण में १ में १९५६-५७ में मंजूर किये गये ऋण और अनुदान, जिन के बारे में अनुमान है कि वे बांट भी दिये गये होंगे, दिये गये हैं। विवरण २ में १९५७-५८ में अब तक दी गई राशियां दिखाई गई हैं।

(घ) राज्य की द्वितीय योजनाओं में शामिल की गई योजनाओं की संख्या बहुत अधिक है और जब तक राज्य की द्वितीय योजना की किसी विशेष परियोजना के बारे में जानकारी न मांगी जाये तब तक कोई निश्चित उत्तर देना सम्भव नहीं है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र में छोटे पैमाने के उद्योग

†**९१७. श्री मं० वें० कृष्ण राव**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ में आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये क्या छोटे उद्योग सेवा संस्था के परामर्श से कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) (एक). एक वर्ष १९५७-५८ में आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये प्रादेशिक छोटे उद्योग सेवा संस्था के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(१) विजयवाड़ा में सामान्य इंजीनियरिंग तथा फाउंड्री विस्तार केन्द्र स्थापित करना;

(२) हैदराबाद में एलेक्ट्रोप्लेटिंग तथा हीट ट्रीटमेंट के विस्तार केन्द्र की स्थापना ;

(३) हैदराबाद में टेस्टिंग तथा सरविसिंग वर्कशाप की स्थापना ;

(४) पपनायडूपेट में मनकों के सरविसिंग केन्द्र की स्थापना ;

(५) हैदराबाद में हाथ के औजारों के बनाने के केन्द्र की स्थापना।

(दो) छोटे उद्योग सेवा संस्था, हैदराबाद द्वारा अतिरिक्त उपकरक का क्रय ताकि उस क्षेत्र के छोटे पैमाने के उद्योगों के कारखानों को अधिक अच्छी प्राविधिक सहायता दी जा सके।

(तीन) सामान्य प्राविधिक सहायता देने के अतिरिक्त हैदराबाद में बड़े कारखानों से उप-ठेकों के लेने में छोटे कारखानों की सहायता करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादकता

९१८. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादकता बढ़ाने के लिये विदेशों से कितने प्रकार की प्रविधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है ;

(ख) इस जानकारी को प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ग) भारतीय उद्योगों को इस प्रकार की जानकारी से अवगत कराने के लिये क्या किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार को अन्य देशों से इस प्रविधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिये कुछ खर्चा करना पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार कितना खर्चा हुआ है और किस रूप में ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना के एक प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है । यह परिषद् स्थानीय उत्पादकता परिषदों तथा उत्पादकता में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों और संस्थाओं के द्वारा देश में उत्पादकता आन्दोलन आरम्भ करेगी । यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् अन्य कार्यों के साथ, विदेशी उत्पादकता को बढ़ाने सम्बन्धी शैल्पिक जानकारी एकत्र करेगी और उसे भारतीय उद्योगों को देगी । यह जानकारी प्रदान करने के लिये प्रकाशन, श्रव्य-दृश्य प्रसार साधन, प्रदर्शनियों, गोष्ठियों तथा भाषणों आदि का प्रयोग किया जायेगा । इसके अतिरिक्त शैल्पिक ज्ञान संग्रह सेवा तथा शैल्पिक ज्ञान वर्द्धन सेवा की स्थापना भी की जायेगी । अपने विविध कार्यों का खर्चा उठाने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को सरकार तथा उद्योगों से धन लेना होगा । चूंकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को स्थापित करने की प्रयोजना अभी विचाराधीन है इसलिये सरकार ने इस पर अभी कुछ खर्च नहीं किया है ।

भारी विद्युत् उद्योग विकास परिषद्

९१९. **श्रीमती गंगा देवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लो वोल्टेज सरकट ब्रेकरों की जांच के लिये भारी विद्युत् उद्योग विकास परिषद् ने क्या सुविधायें निकाली हैं ;

(ख) इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में सरकार ने कितना खर्च किया है ;

(ग) उनसे कितने निर्माताओं को लाभ हुआ है ; और

(घ) उनको किस प्रकार का लाभ हुआ है ?

उद्योगमंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विकास परिषद् ने सरकार से सिफारिश की है कि बिजली के विभिन्न प्रकार के उपकरणों का परीक्षण करने के लिए पूर्णतः सज्जित प्रयोगशाला स्थापित की जाए । यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है । अंतकालीन

उपाय के रूप में परिषद् ने इस संभावना की जांच की कि बंगलौर की इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस में जो साज-सामान है, उसे इस काम के लिए प्रयोग किया जा सकता है या नही । लेकिन ज्ञात हुआ है कि यह मुमकिन नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

रासायनिक गूदे का आयात

९२०. **श्री झूलन सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक गूदे की कितनी मात्रा किन किन देशों से मंगाई जा रही है ; और

(ख) क्या रासायनिक गूदे के आयात के लिये किसी देश से कोई विशेष समझौता किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दिसम्बर, १९५६ तक के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि व्यापारिक वर्गीकरण में रासायनिक लुग्दी को अलग से नहीं दिखाया जाता था । जनवरी से अप्रैल १९५७ तक १०,८०४ टन रासायनिक लुग्दी फिनलैण्ड, स्वीडन, नारवे, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रिया से आयात की गई ।

(ख) जी, नहीं ।

साइकिलें

९२१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बनने वाली साइकिलों की किस्म सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : साइकिल उद्योग द्वारा बनाई गयी साइकिलें आम तौर पर अच्छी किस्म की होती हैं । उत्पादन के तरीकों में और भी सुधार करने के लिये निर्माताओं ने निम्नलिखित कदम भी उठाये हैं :—

(क) भौतिक और रासायनिक परीक्षण करने के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित करके कच्चे मालों का नियन्त्रण करना ।

(ख) अपने औजार स्वयं बनाने के लिये अपने कारखानों में टूल रूम खोलना ।

(ग) तामचीनी चढ़ाने और बिजली से पालिश करने के लिये आधुनिक उपकरण लगाना ।

(घ) भारतीय प्रतिमानशाला के प्रतिमानों के अनुसार साइकिलों के हिस्से बनाना ।

रेशम और रेशमी कपड़ा का आयात

९२२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम तथा रेशमी कपड़े का विदेशों से आयात किया जाता है ;

(ख; यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना आयात होता है ; और

(ग) सरकार ने इसे कम करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) रेशम को आयात किया जाता है । रेशमी कपड़ों के आयात की इजाजत नहीं दी जाती ।

(ख) रेशम का आयात इस प्रकार हुआ है :

वर्ष	पौंड में परिमाण	
	कच्चा रेशम	कता हुआ रेशम
१९५४ . . .	३६४,२१७	४९,३५१
१९५५ . . .	४६३,३४५	३२,४३७
१९५६ . .	११८,१३५	५१,४४५
१९५७	२३८,०६८ (जनवरी-नवम्बर)	४२,९१५ (जनवरी-जून)

(ग) १९५५ से कच्चे रेशम का आयात सरकारी साधनों द्वारा किया जा रहा है । इसका उद्देश्य यह है कि रेशम का कम से कम परिमाण में आयात किया जाय और जरी के काम वाले विशेष प्रकार के बढ़िया रेशमी कपड़े आदि बनानें वालों को उचित दामों पर विदेशों से आयात किया गया रेशम निश्चित रूप से मिलता रहें । रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का विकास करने के लिये इन योजनाओं द्वारा कोशिशें की जा रही हैं । (१) अच्छे शहतूत की खेती (२) रेशम के अच्छी किस्म के कीड़ों का प्रयोग (३) रेशम अटेरने की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना (४) संगठन में सुधार करना ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कक्षायें

९२३. **श्री राजा रमण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की कक्षाओं को चलाने के हेतु जो ४५ लाख रुपये की राशि दी गई थी, उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी हैं और यह किन किन कार्यों पर खर्च की गई है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और कितने कितने नियुक्त किये जायेंगे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ५३,३७० रुपये खर्च करने की मंजूरी मिली है । अक्तूबर १९५७ के अन्त तक कोई खर्च नहीं हुआ है ।

(ख) अक्तूबर १९५७ के अन्त तक किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया । योजना पर अमल होने पर ४२५ आदमियों को नियुक्त किया जायेगा ।

दस्तकारी प्रशिक्षक

९२४. **श्री राधा रमण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोनी बिलासपुर की केन्द्रीय प्रशिक्षक संस्था के पुनर्गठन के हेतु दस्तकारी प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) पुनर्गठन के पश्चात् वहां पर कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इसी प्रकार की एक और संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इस सम्बन्ध में किन किन सलाहकारों तथा विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की गई हैं ;

(ङ) उन्होंने अब तक क्या किया है ; और

(च) उन पर कितना खर्च किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) कोनी बिलासपुर के प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गये हैं । इनमें वर्कशाप का विस्तार और मौजूदा मशीनों का पूरा पूरा उपयोग करने तथा नई मशीनें लगाकर उन पर काम करने के लिए ज्यादा बिजली प्राप्त करने के सम्बन्ध में सुझाव शामिल है । राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ।

(ख) ९६ अतिरिक्त अनुदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा ।

(ग) औन्ध में १ नवम्बर १९५७ से अनुदेशकों के प्रशिक्षण की एक और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था ने काम शुरू कर दिया है ।

(घ) श्री डब्ल्यू जी० किल्बी
श्री विलियम पावरी . . . . . चले गये
श्री जी० फ्रेजर . . . . . चले गये
श्री डब्ल्यू० ए० स्टेनसाल

(ङ) उन्होंने कच्चे माल के गोदामों का पुनर्गठन किया, मशीनी और हथ औजारों तथा दूसरे साजो सामान की सूची तैयार की । इस समय वे प्रशिक्षण क्रम, प्रश्न पत्र, पाठ और दस्तकारी अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए वर्कशाप का पुनर्गठन कर रहे हैं : प्रवर विशेषज्ञ प्रशिक्षण के सिद्धान्त की शिक्षा दे रहे हैं ।

(च) ३१ अक्टोबर, १९५७ तक लगभग ३६,११० रुपये ।

छटनी किये हुए कर्मचारी

९२५. **श्री दि० प्र० सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५७ के पश्चात् कितने ऐसे व्यक्तियों को काम पर लगाया गया जिनकी सैनिक केन्द्रों और नदी घाटी परियोजनाओं से छटनी की गई थी; और

(ख) उनके नये वेतन पुराने वेतनों की तुलना में कम हैं या अधिक ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) सैनिक केन्द्रों से छटनी के कारण निकाले गये ४१९ व्यक्तियों में से १६७ व्यक्तियों को जिनके नाम १ अप्रैल, १९५७ से स्पेशल रजिस्टर में दर्ज थे, दूसरी जगह काम दिला दिया गया है ।

दामोदर घाटी योजना के अधीन काम करने वाले ४१० पद मुक्त कर्मचारियों में से १९३ व्यक्तियों को जिनके नाम या तो रजिस्टर में पहले से दर्ज थे, या १ अप्रैल १९५७ से रजिस्टर में दर्ज हुए दूसरी जगह काम दिला दिया गया है ।

(ख) इन कर्मचारियों और उनके नये नियोजकों के बीच वेतन सम्बन्धी समझौत की जानकारी प्राप्त नहीं है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

९२६. श्री दि० प्र० सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहान्द बांध चम्बल घाटी परियोजना और कोयना बांध के क्षेत्रों में काम दिलाऊ दफ्तर चलाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कितने काम दिलाऊ दफ्तर कहां कहां अब तक खोले जा चुके हैं ;

(ग) इन के द्वारा अब तक कितने व्यक्तियों को काम मिल चुका है ; और

(घ) इन काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने व्यक्ति काम करते हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) भारत सरकार ने रिहान्द और कोयना बांध के क्षेत्रों में नियोजन कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति दे दी है । राज्य सरकारों से कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके वे इन क्षेत्रों में नियोजन कार्यालय खोलने की व्यवस्था करें ।

मध्य प्रदेश और राजस्थान की चम्बल घाटी परियोजना क्षेत्र में कर्मचारियों के नाम दर्ज करने तथा नियुक्ति के लिये नाम भेजने के तरीकों की जांच हो रही है ।

(ख) और (ग). अभी तक कोई नियोजन कार्यालय नहीं खोला गया है ।

(घ) जिला नियोजन कार्यालय अथवा परियोजना नियोजन कार्यालयों में काम करने के लिए एक अफसर और ३ क्लर्क नियुक्त किये जाते हैं ।

अम्बर चर्खा

९२७. श्री रा० रा० मिश्र : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के लोगों को अम्बर चर्खे को अनुपूरक काम के रूप में बताने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अम्बर चर्खा कार्यक्रम खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन की मार्फत अमल में लाया जाता है । अम्बर चरखे को अनुपूरक रोजगार के रूप में लोक प्रिय करने के लिये नीचे लिखे कदम उठाये गये हैं :—

(१) पत्रिकाओं, प्रदर्शनियों और डाकूमेण्टरी फिल्मों आदि के द्वारा प्रचार करना ।

(२) उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अम्बर चर्खे में सुधार करने के लिये गवेषणा करना ।

(३) उत्पादन और बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी बहुत से उपाय करना जिनमें एम्पोरियम व भंडार खोलना भी शामिल है ।

(४) नीचे लिखे कार्यों के लिये वित्तीय और शैल्पिक सहायता देना :

(क) अम्बर चरखों का निर्माण,

(ख) कातने वालों को परिश्रमालयों में प्रशिक्षण देना तथा उनको और उनके परिवारों को आसान शर्तों पर अम्बर चरखे देना ।

(ग) कातने वालों को रुई देना तथा उनके द्वारा काते जाने वाले सूत की किस्म अच्छी रखने के लिये देख रेख करना ।

(घ) नये बुनकरों को अम्बर सूत से बुनाई करने के मौजूदा और सुधरे हुये तरीक़े सिखाना।

(ङ) संगठन तथा उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के लिये ज़रूरी प्राविधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना ।

उत्पादकता आन्दोलन

९२८. श्री रा० रा० मिश्र : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उत्पादकता प्रतिनिधि मंडल ने जापान में कितने कारखानों को देखा ;

(ख) जापान में प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत के कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी विशेषज्ञ बुलाये गये हैं अथवा बुलाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ३५ ।

(ख) भारतीय उत्पादकता प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की है जिसमें सरकार, कारखानेदारों, मजदूरों, कारीगरों, गवेषणाकर्मियों, विद्वानों, सलाहकारों, उपभोक्ताओं तथा छोटे उद्योगों के प्रतिनिधि होंगे । यह परिषद् देश में उत्पादकता चेतना उत्पन्न करेगी । औद्योगिक केन्द्रों में स्थानीय उत्पादकता परिषदों की स्थापना को प्रोत्साहन और उनके जरिये उत्पादकता सेवायें उपलब्ध करेगी । इन सिफारिशों पर नयी दिल्ली में पहली और दूसरी नवम्बर को हुई उत्पादकता गोष्ठी में विचार किया जा चुका है । इस गोष्ठी में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के संविधान और कार्यक्रम के विवरणों पर विचार किया गया तथा इस बारे में सरकार से सिफारिशें की गयीं । ये सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) उत्पादकता के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये अभी तक एक विदेशी विशेषज्ञ बुलाया गया है । राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के कार्यक्रम में और अधिक विदेशी उत्पादकता विशेषज्ञ बुलाने का प्रस्ताव है ।

बिनौले के तेल का उद्योग

९२९. श्री रा० रा० मिश्र : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिनौले के तेल के उद्योग को आधुनिक पैमाने पर लाने के लिये क्या कोशिशें की जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : बिनौले के तेल की जिन मिलों के पास रेशे और छिलके साफ करने की मशीनें नहीं हैं उन्हें ये मशीनें लगाने की सलाह दी गई है। नई मिलें खोलने अथवा पुरानी में विस्तार करने के लाइसेन्स केवल इसी शर्त पर दिये जाते हैं कि उनमें रेशे और छिलके साफ करने की मशीनें लगाई जायेंगी ।

बिनौले के तेल उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक समिति स्थापित की गई है जो कि आधुनिक ढंग पर इसके शीघ्र विकास के लिये सुझाव भी देगी ।

तामचीनी के बर्तन

९३०. श्री रा० रा० मिश्र: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तामचीनी के बर्तन कितने कारखाने तैयार कर रहे हैं ।

(ख) इन कारखानों का कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) १९५६ में इन बर्तनों का कितना निर्यात हुआ और वे किन किन देशों को भेजे गये ; और

(घ) इनका निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) २२ कारखाने ।

(ख) १९५६—१५२.१ लाख बर्तन ।
१९५७ (जनवरी से सितम्बर)—११२.४ लाख बर्तन ।

(ग) १९५६ में हुये इनके निर्यात का विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि जनवरी १९५७ से पहले समुद्र मार्ग से हुये व्यापार-विवरण में इनका अलग से उल्लेख नहीं किया गया था ।

(घ) तामचीनी के बर्तन बनाने में प्रयोग होने वाले आयातित कच्चे माल पर लिया गया शुल्क लौटाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

उत्पादन समितियां

९३२. पंडित कृ० चं० शर्मा : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्विदलीय आधार पर बनाई गई विभागीय उत्पादन समितियों ने कौन-कौन से रचनात्मक सुझाव दिये हैं ;

(ख) उनके परिणामस्वरूप कार्यक्षमता में कितनी उन्नति हुई है और कच्चे माल तथा मशीनों के ठीक प्रयोग में कहां तक सहायता मिली है ; और

(ग) किन किन कारखानों में अब तक उत्पादन समितियां स्थापित की गई हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (ग). विभागीय उत्पादन समितियां श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करने सम्बन्धी बड़ी योजना के अन्तर्गत हैं। इस योजना को लगभग ५० कारखानों इत्यादि में परीक्षण के रूप में चालू करने का विचार है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई जारी है ।

तीन कारखानों, यानी (१) टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, (२) इंडियन अलुमिनियम कम्पनी, लि० वेलुर, और (३) मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लि०, मोदी नगर, ने श्रमिकों को प्रबन्ध में शामिल करने के लिये हाल ही में उत्पादन समितियां बनाई हैं। अभी नतीजों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

लकड़ी का गूदा

९३३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा मिल में लकड़ी का गूदा बनाने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यहां बनने वाला लकड़ी का गूदा बाहर से मंगाये गये गूदे के मुकाबले में कैसा रहता है

(ग) दोनों प्रकार के गूदे की लागत क्या है ;

(घ) क्या लकड़ी का गूदा बाहर से भी मंगाया जा रहा है, और

(ङ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना गूदा मंगाया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अखबारी कागज बनाने के लिये नेपा मिल को ६० प्रतिशत यांत्रिक लकड़ी की लुग्दी तथा ४० प्रतिशत बांस की रासायनिक लुग्दी की आवश्यकता पड़ती है। नेपा मिल अपनी आवश्यकता के अनुसार यांत्रिक लकड़ी को लुग्दी आरम्भ से ही बना रहा है ।

(ख) तथा (ग). अन्य देशों में लम्बे रेशे वाले तिकोनाकार वृक्षों की लकड़ी से यांत्रिक लुग्दी बनाई जाती है, जबकि भारत में इस काम के लिये उष्णकटिबन्धीय कड़ी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कड़ी लकड़ी की लुग्दी छोटे रेशे वाली होती है तथा आयात की गई लम्बी रेशे वाली लुग्दी से उसकी किस्म अथवा कीमत किसी में भी तुलना नहीं हो सकती ।

(घ) तथा (ङ). नेपा मिल के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रति वर्ष औसतन २२,५०० टन लुग्दी का आयात किया जाता है ?

बिजली के सामान का उद्योग

९३४. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उद्योगों को अल्युमीनियम, लोहे और इस्पात के बाल बियरिंग तथा अन्य कच्चे माल की जो कमी या असुविधा होती है, उसका कभी कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां। भारी तथा हलके वैद्युत उद्योगों की विकास परिषदों ने इस प्रश्न का अध्ययन किया है और सरकार से अपनी सिफारिशें की हैं।

(ख) तथा (ग). सरकार ने परिषद् की एक यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि नये इस्पात कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम में वैद्युत इस्पात चादरों का निर्माण भी शामिल कर लिया जाए। कुछ कच्चे माल जैसे अलूमीनियम को कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

विभिन्न उद्योगों के निर्माताओं को कच्चा माल आयात करने की अनुमति देने की कोशिश की जा रही है। यह अनुमति उन्हें प्राप्त प्राथमिकताओं तथा जरूरी विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को देखते हुए दी जाएगी।

कमी के एक भाग को पूरा करने के लिये विभिन्न उद्योगों के काम आने वाले कुछ आवश्यक कच्चे मालों तथा पुर्जों जैसे बिजली के लैम्प, उद्योग के लिये पीतल की टोपियों और कांच की नलियों तथा बिजली के पंखों, मोटरों आदि के लिये तामचीनी चढ़े तांबे के वाइंडिंग तारों, के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता का विकास किया जा रहा है।

जो निर्माता अपने माल का निर्यात कर रहे हैं, उन्हें अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त कच्चा माल आयात करने की रियायतें दी जा रही हैं।

यूरिया फोर्मलडीहाइड और सेलूलोज एसीटेट मोल्डिंग पाउडर

९३५. श्री रा० स० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरिया फोर्मलडीहाइड और सेलूलोज एसीटेट मोल्डिंग पाउडर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार इनके निर्माण में सहायता देने के लिये क्या यत्न कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**

रेशम उद्योग

९३६. श्री रा० स० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेशम तैयार करने के लिये कोई कच्चा माल विदेशों से मंगाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इस देश में ही उपलब्ध करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी, हां, यह माल है कच्चा रेशम और कता हुआ रेशम।

(ख) १९५६ में आयात किये गये कच्चे रेशम तथा कते हुए रेशम का परिमाण क्रमश: १,१८,१३५ पौंड और ५१,४४५ पौंड था।

(ग) रेशम के कीड़े पालने के स्वदेशी उद्योग का विकास कर के देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस के लिए (१) अच्छे शहतूत की खेती करने (२) रेशम के अच्छी किस्म के कीड़े काम में लाने (३) रेशम अटेरने की आधुनिक प्रणालियां अपनाने और (४) संगठन सुधारने की योजनाएं चलाई गई हैं।

न्यायाधिकरणों के निर्णयों की कार्यान्विति

†९३९. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवादों के बारे में न्यायाधिकरणों, अपील न्यायाधिकरणों और उच्चतम न्यायालय के कितने निर्णय अब तक कार्यान्वित नहीं किये गये हैं; और

(ख) जिन लोगों ने निर्णयों का कार्यान्वय नहीं किया उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) इस जानकारी को प्राप्त करने में जितना समय और जितनी मेहनत लगेगी वह प्रयोजन को देखते हुए अनावश्यक होगी ?

(ख) निर्णयों का कार्यान्वय न करने सम्बन्धी मामलों की ओर जब सरकार के औद्योगिक सम्पर्क संगठन का ध्यान दिलाया जाता है तो विधि के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है।

काम दिलाऊ दफ्तर

†९४०. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने देश के विभिन्न कामदिलाऊ दफ्तरों में अपना नाम दर्ज कराया था और जिन्हें १ नवम्बर, १९५७ तक रोजगार दिलाया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : वर्ष के प्रारम्भ से १४,३२,३४२ लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया था और इन में से १,५९,५६५ लोगों को १ नवम्बर, १९५७ तक रोजगार दिलाया जा चुका है।

प्रलेखीय चलचित्र[1]

†९४१. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५५–५६ और १९५६–५७ में जो प्रलेखीय चलचित्र बनाये गये हैं उन से प्रत्येक पर कितनी कितनी राशि व्यय हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : फिल्म डिवीजन जो प्रलेखीय चलचित्र तैयार करता है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का व्यय होता है। किसी नियमित लागत-लेखे के बिना यह नहीं बताया जा सकता कि १९५५-५६ और १९५६–५७ में बने प्रलेखीय चलचित्रों पर क्या व्यय हुआ।

गोआ से आये विस्थापित परिवार

†९४२. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ से कितने विस्थापित परिवार अब तक भारत आ चुके हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Documentary Films.

(ख) वे कहां रह रहे हैं, ; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें कोई सहायता प्रदान की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). १९५४ से अब तक पुर्तगालियों के अत्याचारों से पीड़ित हो कर लगभग ७,००० भारतीय लोग पुर्तगाली बस्ती से भारत में आये । ऐसा बताया जाता है कि उन में से अधिकांश अपने गांवों को वापस चले गये ।

(ग) सहायता के लिये उन के कोई आवेदन पत्र नहीं मिले अतः ऐसा ख्याल है कि उन को सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति

९४३. **श्री दी० चं० शर्मा:**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर १९५७ में कुल कितनी निष्क्रान्त सम्पत्तियां नीलाम की गईं ; और

(ख) उन से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ८,४५५ जिन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जुलाई, १९५७	२,२९३
अगस्त, १९५७	२,२२०
सितम्बर, १९५७	१,९६४
अक्टूबर, १९५७	१,९७५
योग . .	८,४५५

नवम्बर, १९५७ के अंक अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जुलाई, १९५७ .	७२,३५,१४८ रुपये
अगस्त, १९५७ .	८३,५८,७४९ रुपये
सितम्बर, १९५७ . .	५१,००,५६४ रुपये
अक्टूबर, १९५७ . .	५६,८८,९१४ रुपये
योग	२,६३,८३,३७५ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्रान्त सम्पत्ति

†९४४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, १९५७ में कितनी निष्क्रांत इमारतें नीलाम की गई हैं ; और

(ख) ऐसी कितनी निष्क्रान्त इमारतें हैं जिन का कब्जा खरीददारों को दे दिया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: २०३ सम्पत्तियां जिन का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

जुलाई, १९५७	८६
अगस्त, १९५७	७०
सितम्बर, १९५७	५
अक्टूबर, १९५७	४२
योग	२०३

नवम्बर, १९५७ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) १०.

बिहार में विस्थापित व्यक्ति

†९४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० से अभी तक पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्ति बिहार के कैम्पों में भेजे गये हैं और कितने व्यक्ति स्थायी तौर से बसाये जा चुके हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : १९५० से ५६,८६७ विस्थापित व्यक्ति बिहार के कैम्पों में भेजे गये हैं जिन में से २१,११३ स्थायी तौर से बसाये जा चुके हैं ।

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्ति

†९४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में पूर्वी पाकिस्तान से १९५७-५८ में ३० नवम्बर, १९५७ तक कितने विस्थापित व्यक्ति आये हैं ;

(ख) उन्हें किन किन स्थानों में बसाया गया है ; और

(ग) उन में से कितने व्यक्तियों को भूमि और कितनों को रोजगार मिल गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) कोई नहीं । हमारी जानकारी के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से उड़ीसा को कोई प्रत्यक्ष प्रव्रजन नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिमी बंगाल में मार्गस्थ शिविर[9]

†१४७. **श्री दो० चं० शर्मा:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पश्चिम बंगाल के मार्गस्थ शिविरों के बनाये रखने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : पश्चिमी बंगाल में कोई मार्गस्थ शिविर नहीं हैं । पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये समस्त शिविर सहायता-शिविर हैं जहां विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी बंगाल अथवा अन्य राज्यों में पुनर्वास स्थानों को भेजे जाने तक रखा जाता है ।

बिहार प्रान्तीय औद्योगिक गवेषणा प्रयोगशाला[10]

†१४८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार प्रान्तीय औद्योगिक गवेषणा प्रयोगशाला के पुनर्गठन के लिये प्रविधिक अथवा वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो चाही गई और केन्द्र द्वारा दी गई सहायता किस प्रकार की है ;

(ग) क्या पुनर्गठित प्रयोगशाला में कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक प्रारम्भ किये गये कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रयोगशाला का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ है परन्तु वह वर्तमान आधार पर चालू है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय दूतावासों में सूचना अधिकारी

†१४९. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय दूतावासों के लिये सूचना अधिकारियों को भरती करते समय पत्रकारी अनुभव को मूलभूत योग्यता नहीं माना जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[9] Transit Camps.

[10] Bihar Provincial Industrial Research Laboratory.

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). ऐसे पदों के लिये पत्रकारी अनुभव एक प्रमुख योग्यता मानी जाती है। इस के अतिरिक्त जन सम्पर्क कार्य में पर्याप्त अनुभव, सामयिक समस्याओं की व्यापक जानकारी और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की पृष्ठभूमि आवश्यक समझी जाती हैं। किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि भी आवश्यक समझी जाती है।

विभिन्न उद्योगों की उत्पादन क्षमता

†६५०. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री वासुदेवन् नायर:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित उद्योगों की उत्पादन क्षमता का आकलन करने का आधार **क्या है** :

(१) सूती, ऊनी, रेशमी आदि कपड़ा उद्योग।
(२) अभियंत्रणा उद्योग।
(३) भारी रसायन।
(४) सूक्ष्म रसायन[11]
(५) सीमेंट।
(६) चीनी।
(७) लोहा और इस्पात।
(८) अलौह धातु सम्बन्धी उद्योग।
(९) बिजली का सामान
(१०) साबुन, तेल, उद्जनन[12] आदि।

(ख) क्या सरकार को इन में से किसी उद्योग में क्षमता के आकलन के इस आधार के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं और इस सम्बन्धै में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (ग). उत्पादन क्षमता का आकलन करने के लिये किसी विशेष उद्योग के लिये कोई दृढ़ आधार नहीं है। प्रत्येक कारखाने का उत्पादन क्षमता निर्धारण करने का अपना आधार है।

सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं।

सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

६५१. **श्री ह० च० शर्मा : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार को सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी सहायता और ऋण दिया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[11] Fine chemicals
[12] Hydrogenation

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री अनिल क० चन्दा) : (क) तथा (ख). आवश्यक सूचना का विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है : **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

अपरिष्कृत काजू[13]

†१५२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मई, १९५४ से अपरिष्कृत काजू का जब यह वस्तु निर्बाध सामान्य अनुज्ञप्ति से हटा दी गई थी, (१) तदर्थ आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा और (२) संस्थापित आयातकों द्वारा कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ख) पक्षों के नाम तथा आयातकों की उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक के द्वारा आयात की गई मात्रा अलग अलग कितनी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) मई, १९५४ से जून, १९५७ तक भारत में, २,२२,००० टन अपरिष्कृत काजू का आयात किया गया । वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा तदर्थ आधार पर और स्थापित आयातकों द्वारा आयातों के अंक उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ऐसे अंक आयात आंकड़ों में अलग से दर्ज नहीं किए जाते हैं ।

(ख) दो सूचियां जिन में से एक में वास्तविक उपभोक्ताओं के नाम और दूसरी में स्थापित आयातकों के नाम दिए हुए हैं, लोक सभा पटल पर रखी जाती हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए एल० टी० ४१६/५७]**

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†१५३. **श्री बसुमतारी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत आसाम के लिए कितनी आवास योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) अभी तक तीन परियोजनायें, जिनमें ७४ मकानों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा और १४० मकानों का निर्माण एक गैर-सरकारी नियोजक द्वारा किया जायगा, मंजूर की गई हैं ।

(ख) २१४ मकानों की लागत का अनुमान ६·३२ लाख रुपए किया जाता है जिसमें से केन्द्रीय सरकार का वित्तीय सहायता का अंश ४·८७ लाख रुपए ऋण और राज सहायता के रूप में होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[13] Raw Cashewnuts

इन्जेक्शनों तथा गोलियों का आयात

†१९५४. **श्री बलराम कृष्णय्या** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में आयात किए गए एडीसन्स रोग[14] के काम में आने वाले इन्जेक्शनों और गोलियों का मूल्य कितना है ;

(ख) क्या इन इन्जेक्शनों और गोलियों को भारत में तैयर किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) ए० सी० टी० एच० कार्टीसोन[15] और कार्टीसोन के उत्पादों, जिनका इस समय एडीसन्स रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, के आयात का मूल्य निम्न प्रकार था :

१९५६	८,२६,७१५ रुपए ।
१९५७ (अक्तूबर तक)	३,८३,१३७ रुपए ।

(ख) हां श्रीमान् ।

(ग) बम्बई के मेसर्स ग्लैक्सो लेबारेटरीज (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत कार्टीसोन की गोलियां और संबंधित चीजों के निर्माण के लिए १९६१ के अन्त तक काम चालू करने का लाईसेंस प्रदान किया गया है ।

रुमानिया को जूतों का निर्यात

†१९५५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया के साथ उस देश को भारतीय जूतों के निर्यात के लिए कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) . रूमानिया के इन्डसट्रियल एक्सपोर्ट[16] के साथ ट्रैक्टरों, यन्त्रोपकरणों और सड़क कूटने के इन्जनों के आयात के लिए एक करार हुआ है । आयात से होने वाली आय का उपयोग रूमानिया के आयातकों द्वारा निर्दिष्ट भारतीय माल के आयात के लिए किया जायगा । यद्यपि रूमानिया के साथ भारतीय जतों के निर्यात के लिए कोई निर्दिष्ट करार नहीं हुआ है, भारत से आयात की वस्तुओं में चमड़े का सामान भी एक निर्दिष्ट वस्तु है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[14]Addisions disease.
[15]ACTH Cortisone.
[16]Industrial Export Rumania.

अणुशक्ति विभाग

†९५६. **श्री शिवनंजप्पा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार अणुशक्ति विभाग का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सरकार अनुशक्ति विभाग के पुनर्गठन के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है । यह कार्य विभाग द्वारा अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोजनों में गवेषणा और उनके विकास में की गई तीव्र प्रगति और भविष्य के लिए कल्पित अत्यन्त विस्तृत कार्यक्रम के कारण आवश्यक हो गया है । इसका मुख्य विचार एक ऐसे संगठन का निर्माण करना है जिसे दृढ़ प्रविधिक एवं आर्थिक सिद्धान्तों पर विभिन्न कार्यों का आयोजन और क्रियान्वयन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त हो और जो समस्त अनावश्यक प्रतिबन्धों अथवा अनावश्यक रूप से अनानम्य नियमों से मुक्त हो । ऐसे संगठन का निर्माण करने में अणु शक्ति की विशेष आवश्यकताओं, क्षेत्र की नवीनता, उसके कार्यों की युद्धावश्यक प्रकृति और उसके अन्तर्राष्ट्रीय तथा राजनैतिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाएगा । कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मामला अभी तक विचाराधीन है ।

अल्प आय वर्ग आवास योजना

†९५७. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प आय वर्ग आवास योजना के अंतर्गत ऋण दिए जाने के लिए करार-पत्रों में पुनर्भुगतान के तीस बराबर किश्तों में किए जाने का उल्लेख है और उसमें भविष्य की किश्तों की अग्रिम स्वीकृति के लिए कोई स्तंभ नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने बजट मांगों पर बहस का उत्तर देते समय गत सितम्बर में यह सूचित किया था कि ऋणों का अग्रिम पुनर्भुगतान किया जा सकता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वास्तव में जो कुछ हो रहा है वह इसके ठीक विपरीत है ; और

(घ) सरकार ऋण करार-पत्रों में इस अनियमित स्थिति के उपचार के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) भारत सरकार ने अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए करार-पत्र का कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किया है । यद्यपि योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों का ३० वर्षों की अवधि में पुनर्भुगतान किया जाना है । ऋणग्रहीताओं पर ऋणों के कम अवधि में पुनर्भुगतान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). किसी अन्य अभ्यास का कोई निर्दिष्ट उदाहरण जानकारी में नहीं आया है परन्तु भारत सरकार समस्त राज्य सरकारों को यह सलाह दे चुकी है कि ऋण के कम अवधि में पुनर्भुगतान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए ।

मोटर कारें

†१५८. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में १९५६ और १९५७ में कितनी मोटर कारें बनीं तथा विभिन्न देशों से कितनी मोटर कारें आयात की गईं ; और

(ख) उनके मूल्य क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). बनी बनाई कारों के वाणिज्यिक आधार पर आयात की अनुमति नहीं है । देशी उत्पादन के आंकड़े और वर्तमान मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

कार का नाम	उत्पादन		मूल्य सूची के अनुसार वर्तमान मूल्य (कारखाने से बाहर का मूल्य) रुपए
	१९५६ (१२ महीने)	१९५७ (१० महीने)	
फियट '११००' .	४०८५	३६९२	९७५५
स्टैन्डर्ड '१०' .	१३९८	१०८३	९४५०
हिन्दुस्तान लैण्ड मास्टर/एम्बेसेडर	४८२५	३३३३	१११६१
स्टैन्डर्ड 'वैन्गार्ड' .	४२५	६९०	१४७००
डाज	१३६३	५९१	२०३७१
स्टूडीबेकर	६३०	२७४	१९१७३
हिन्दुस्तान बेबी .	२६३		
योग	१२९८९	९६६३	

नई दिल्ली में उत्पादिता गोष्ठी[17]

†१५९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली में एक उत्पादिता गोष्ठी आयोजित की है ;

†मूल अंग्रेजी में

[17] Productivity Seminar

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ; गोष्ठी में नियोजकों, श्रमिकों, सरकार और उत्पादिता में हितवद्ध विभिन्न अन्य संगठनों और संस्थाओं ने भाग लिया था ।

(ख) गोष्टी ने उद्योगों में उत्पादिता चेतना का प्रचार करने के लिए और स्थानीय उत्पादता परिषदों के द्वारा उत्पादिता सेवाओं का जनन करने के लिए एक राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की स्थापना की सिफारिश की पृष्ठांकना की है । उसने राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के संगठन और रचना के ब्यौरे के संबंध में सिफारिशें की हैं । उसकी मूलभूत सिफारिश यह है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की सदस्यता नियोजकों और श्रमिकों के राष्ट्रीय संगठनों और परिसंघानों, सरकार और अन्य पक्षों, जिसमें प्रविधिक, विद्वान गवेषणा कर्ता, परामर्शदाता उपभोक्ता, और लघु उद्योग सम्मिलित हैं, तक सीमित होनी चाहिए । परिषद में नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि बराबर होंगे । स्थानीय उत्पादिता परिषदों की सदस्यता में औद्योगिक इकाइयां, स्थानीय संगठन, संस्थायें आदि सम्मिलित होंगी जो स्वयं राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद की पार्षध बन जायेंगी ।

(ग) उत्पादिता गोष्ठी की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और निर्णाय निकट भविष्य में ही हो जाने की सम्भावना है । यदि सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं तो सरकार कल्पित ढंग से उत्पादिता आन्दोलन को बढ़ायेगी ।

भारतीयों का प्रत्यावर्तन[18]

†९६०. **सरकार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ और १९५७-५८ में अभी तक पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका और पुर्तगाली अफ्रीका से पृथक् पृथक् कितने भारतीय भारत को प्रत्यावर्तित किये गये हैं ; और

(ख) उनके प्रत्यावर्तन के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब को सीमेंट का संभरण

†९६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब को १९५६-५७ में संभरण किये गये कोटे में कोई कटौती की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[18]Repatriation of Indians

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न हीं होता ।

'जनता जीवन बीमा' पर प्रलेखीय चलचित्र

†९६२. श्री दामानी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनता जीवन बीमा पर एक प्रलेखीय चलचित्र बनाने का विचार कर रही है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): "जीवन बीमा" पर एक प्रलेखीय चलचित्र बनाया जा रहा है । इस चलचित्र में जीवन बीमा के समस्त पहलुओं को, जनता जीवन बीमा को सम्मिलित करते हुये, ले लिया जायेगा ।

संश्लिष्ट रत्न[१९]

†९६३. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय बाहर से प्रतिवर्ष आयात किये जाने वाले संश्लिष्ट रत्नों की मांग का मूल्य कितना है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): आयात किये गये संश्लिष्ट रत्नों के सम्बन्ध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । संश्लिष्ट रत्नों की अनुमानित मांग, जिसकी पूर्ति इस समय आयात द्वारा की जा रही है, २० लाख रुपये प्रति वर्ष की है ।

उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†९६४. श्री पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व किसी अधिकारी को उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों का निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्त किया था ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): जी, हां । विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों के पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा ये निरीक्षण सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया है और उनका कोई विशेष महत्व नहीं है ।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

†९६५. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों को १९५५, १९५६, १९५७ में अभी तक कितने भारतीय चलचित्रों का निर्यात किया गया ;

(ख) इन देशों से अलग अलग कुल कितनी आय हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा इन देशों को चलचित्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१९]Synthetic gems

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). १९५७ के पूर्व भारतीय चलचित्रों के निर्यात के देशवार आंकड़े नहीं रखे जाते थे। एक विवरण जिसमें देशवार निर्यात जिसमें दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को जनवरी—जून, १९५७ में आयात किये गये चलचित्रों के फुटयोग[२०] और मूल्य दिये गये हैं, लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११**] चूंकि आंकड़े फुटयोग में रखे जाते हैं, प्रत्येक देश को निर्यात किये गये चलचित्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार द्वारा भारतीय चलचित्रों के निर्यात को सामान्यत: प्रोत्साहन देने के लिये, केवल दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को नहीं, निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) आशा है कि एक चलचित्र निर्यात मंत्रणा समिति, जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई में होगा तथा जिसमें भारत सरकार के तथा चलचित्र उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, ऐसे मार्गोपाय सुझायेगी जिनके द्वारा भारतीय चलचित्रों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है, और

(२) हमारे व्यापार आयुक्तों द्वारा निर्यातकों को प्रमुख आयात करने वाले देशों में विशेष चित्रों के सम्बन्ध में बाजार की सम्भावनाओं और उपभोक्ता अग्रिमता का संकेत करके सहायता दी जाती है।

(३) निर्यात संवर्धन निदेशालय निर्यातकों की चलचित्रों का निर्यात करने में सम्भावित प्रशासकीय और प्रक्रिया सम्बन्धी व्यक्तिगत कठिनाइयों का हल करने में सहायता कर रहा है।

सहकारी कपड़ा मिलें

†९६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को सहकारी कपड़ा मिलें खोलने के लिये लाईसेंस प्रदान किये जाने के लिये वर्ष १९५६-५७ और १९५७-५८ में अभी तक कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य-वार कितने लाईसेंस प्रदान किये गये हैं और ये मिलें किन किन स्थानों में स्थापित की जायेंगी ;

(ग) कितने प्रार्थनापत्र नामंजूर किये गये हैं ;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कितने प्रार्थनापत्र अभी भी विचारार्थ पड़े हुये हैं और ये प्रार्थनापत्र किन किन स्थानों के लिये दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में कुल १५ प्रार्थनापत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत सहकारी मिलें (१४ कताई मिलें और १ शक्ति-चालित करघा कारखाना) खोलने के लिये लाईसेंस दान किये जाने के लिये प्राप्त हुये हैं।

(चार प्रार्थनापत्र १९५६ से पूर्व प्राप्त हुये थे)

---

†मूल अंग्रेजी में

[२०]Footage

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १२**]

(ग) यूनाईटेड वीविंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, कलकत्ता का शक्ति-चालित करघा कारखाने के लिये एक प्रार्थनापत्र नामंजूर किया गया है । इसके अतिरिक्त मेसर्स मालवा कोआपरेटिव स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, मलौत मण्डी को, जिसने २५,००० तकुओं और ५०० करघों के लिये प्रार्थनापत्र दिया था, १५,००० तकुओं के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। उनसे १५ फरवरी, १९५७ तक अपनी स्वीकृति की सूचना देने के लिये कहा गया था। उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी और वह प्रस्ताव २८ मार्च, १९५७ को वापस ले लिया गया। करघों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जा सकी ।

(घ) करघों की स्थापना की अनुमति सरकार की देश में करघों की संख्या न बढ़ने देने की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुये नहीं दी गई ।

(ङ) कोई नहीं ।

नई दिल्ली का शंकर मार्केट

†९९७. { **श्री कुन्हन :**
श्री कोडियान : }

क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली के शंकर मार्केट के दुकान-मालिकों से जल की सुविधा तथा अन्य सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य "न्यू सैन्ट्रल मार्केट" से है, तो उत्तर सकारात्मक है ।

(ख) जल संभरण और अन्य सुख-सुविधाओं के उपबन्ध का कार्य प्रायः पूर्ण हो गया है । जो थोड़ा सा शेष रह गया है उसमें शीघ्रता की जा रही है ।

सहकारी क्षेत्र के कुटीर उद्योग

†९९८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अभी तक सहकारी आधार पर प्रारम्भ किये गये ऐसे कितने विभिन्न कुटीर उद्योग हैं जिन्हें अखिल भारतीय खादी तथा उद्योग आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) वर्ष में कितनों ने वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं; और

(ग) अभी तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ग). आवश्यक जानकारी लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिए परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १३**] इस जानकारी में अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम बोर्ड, जो खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग, जिसकी स्थापना १ अप्रैल, १९५७ से की गई थी, का पूर्वाधिकारी था, द्वारा दी गई वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है।

(ख) तीन।

पंजाब में अम्बर चर्खा कार्यक्रम

†१६९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय अम्बर चर्खा परिश्रमालयों और विद्यालयों में कितने लोग काम कर रहे हैं ; और

(ख) इन परिश्रमालयों और विद्यालयों द्वारा अभी तक कितनी मात्रा में सूत तैयार किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५६–५७ में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और जो लोग १९५७–५८ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है :—

	१९५६–५७	१९५७–५८ (३०-१०-५७ को)
कताई सीखने वाले	३,९९९	२,२१२
शिक्षक	१७२	७९
बढ़ई	२३	१२

(ख) १९५६–५७ में ४४,११२ पौंड सूत तैयार किया गया और १९५७–५८ में (अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक) १,२६,९०८ पौंड सूत तैयार किया गया।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†१७०. **श्री घोषाल** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के कितने नियोजकों ने अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राज सहायता और ऋण का लाभ उठाया है ; और

(ख) उनके द्वारा कुल कितनी राशि ली गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)**: (क) नहीं ।

(ख) पश्चिमी बंगाल में अभी तक १२१० मकानों के निर्माण के लिये नौ गैर-सरकारी नियोजकों को मंजूर किये गये १८.९९ लाख रुपये में से उनको अभी तक केवल ३.०० लाख रुपये दिये गये हैं ।

श्री रहीमतुल्ला चिनाय का निधन

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को भूतपूर्व केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य श्री रहीमतुल्ला चिनाय के दुखद निधन के सम्बन्ध में बताना है। उनका देहान्त बम्बई में २७ नवम्बर, १९५७ को ७५ वर्ष की अवस्था में हुआ ।

सभा मृतक के सम्बन्धियों के प्रति समवेदना प्रगट करने में सहमत होगी ।

अब सभा के सदस्य अपना शोक प्रगट करने के लिये एक मिनट के लिए मौन खड़े होंगे ।

सदस्य एक मिनट तक मौन खड़े रहे ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट का सेक्शन ७ (दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा ७) जिसके अन्तर्गत डा० राम मनोहर लोहिया गिरफ्तार हुए हैं और अवैधानिक रूप से गिरफ्तार हुए हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९ के विपरीत है। वह अवैधानिक रूप से जेल की यातना झेल रहे हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: सभा को माननीय अध्यक्ष का यह विनिर्णय ज्ञात होगा कि यदि कोई प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाये और सदस्य को यह सूचना दी जाये तो सदस्य को उस प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय के कमरे में जाकर पहिले उनकी अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

श्री यादव: चूंकि यह बड़े महत्व का प्रश्न है, मैं इस बात के लिये श्रीमान् की इजाजत चाहूंगा कि . . . . . .

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा । यह नियम सिर्फ उस मेम्बर के लिये है जिस ने मोशन दिया है । लेकिन यह दूसरे सदस्यों पर लागू नहीं होता है । इस लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का यह कहना उचित नहीं है कि यह विनिर्णय केवल उसी सदस्य पर लागू होता है जिसके प्रस्ताव पर यह निर्णय किया गया है । मैं निर्णय दे चुका हूं । यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो वे बाद में मुझसे इस सम्बन्ध में बातें कर सकते हैं । वस्तुतः निर्णय मेरे ऊपर निर्भर है । और इस समय इस प्रश्न पर निर्णय किया जा चुका है । यदि आपको मेरे निर्णय से संतोष नहीं है तो आप मेरे कमरे में आकर मुझसे इस सम्बन्ध में बातें कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : मैं श्रीमान् के इस निर्णय के खिलाफ वाक आउट करता हूं ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : आप ने जो आदेश दिया है, मैं भी उस के विरोध में वाक आउट करता हूं ।

तदुपरांत श्री माधव, श्री ब्रजराज सिंह और श्री जगदीश अवस्थी सभा से बाहर चले गये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: मैं श्री सत्य नारायण सिंह की ओर से विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों, तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों, की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

अनुपूरक विवरण संख्या ४, दूसरा सत्र, १९५७
(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १४)

अनुपूरक विवरण संख्या ५, पहला सत्र, १९५७
(देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १५)

पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाली छमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० ४०४/५७]

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

ईराक ने भारतीय विमान बल के विमानों के लिये हब्बानिया हवाई अड्डे के उपयोग की अनुमति नहीं दी

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मैं समाचारपत्र के संवादों से उत्पन्न हुई भ्रांति को दूर करने के लिये एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं । समाचार पत्रों में ऐसे संवाद प्रकाशित हुए हैं कि ईराक की सरकार ने भारतीय विमान बल के विमानों को हब्बानिया हवाई अड्डे के उपयोग की अनुमति नहीं दी है और इस प्रकार यह धारणा फैली है कि ईराक ने हिन्दुस्तान के विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

बात यह है कि कुछ सैनिक विमानों के ब्रिटेन से भारत लाने के लिये ईराकी प्राधिकारियों से उन्हें हब्बानिया हवाई अड्डे में ठहरने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई थी जिससे वे सफाई की आवश्यक सुविधायें प्राप्त कर सकें। भारत सरकार को यह बताया गया कि ईराक किसी भी देश को हब्बानिया हवाई अड्डे का उपयोग नहीं करने देता है तथा उन्हें भारत को यह विशेष रियायत न दे सकने का दुख है। ईराक सरकार बगदाद के असैनिक हवाई अड्डे को हमारे विमानों के उपयोग के लिये देने को तैयार हो गई। पहिले भी हमारे कुछ विमानों ने इसका उपयोग किया है। तबसे बगदाद में हमारे राजदूत ने यह बताया है कि ईराक सरकार ने वहां के असैनिक हवाई अड्डे में कुछ विशेष सहायता प्रस्तुत की है। इस बात को ध्यान में रख कर ब्रिटेन से ईराक के मार्ग से विमानो के भारत आने में कोई विलम्ब या कठिनाई नहीं होगी।

इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या का प्रयत्न

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सभा में एक अन्य विषय का भी उल्लेख करना चाहता हूं। यह दुखांत घटना जकार्ता में परसों हुई थी। यह घटना बहुत बुरी थी क्योंकि इसमें इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या का प्रयत्न किया गया था। यह घटना बालकों के समूह में हुई थी। राष्ट्रपति का बच निकलना आश्चर्य की ही बात है। पहिले दस्ती बम से एक सिपाही की मृत्यु हो गयी जो राष्ट्रपति के निकट खड़ा होकर उन्हें सलामी दे रहा था। तीन अन्य हथ गोले फेंके गये। सौभाग्य से राष्ट्रपति बच गये। मेरे विचार से पांच बच्चों की मृत्यु हुई उनमें से एक ग्यारह वर्ष का भारतीय बालक भी था। ४९ बालकों को गम्भीर चोटें आयीं और ९० घायल हुए। मुझे आशा है कि सभा इस घटना पर दुख प्रगट करेगी और उन्हें राष्ट्रपति के बच निकलने पर हर्ष होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें इस दुखान्त घटना पर अत्यंत खेद है और हमें राष्ट्रपति के बच निकलने पर अत्यंत प्रसन्नता है।

समितियों के लिए निर्वाचन के बारे में प्रस्ताव

भारतीय विज्ञान संस्था परिषद, बंगलौर

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की सम्पत्ति तथा निधि के प्रशासन और प्रबन्ध की योजना के खंड १४(२) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा उक्त संस्था के विनियम २(१) के अन्तर्गत लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, इस संस्था की परिषद् में तीन वर्ष--१९५८--६० (जिसमें दोनों वर्ष सम्मिलित हैं)--की अवधि के लिये सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य को चुनें।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मानव विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: मौलाना अबुल कलाम आजाद की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के दिनांक ९ अक्तूबर, १९५७ के संकल्प संख्या एफ० ८-२६/५७-सी० १ के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, मानव विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और स्वीकृत हुआ ।

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं अपने सहयोगी सरदार स्वर्ण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

छावनियां (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब छावनियां (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करेगी । इस पर चर्चा के लिये एक घंटे का समय दिया गया है । राष्ट्रपति ने लोक सभा से इस विधेयक पर चर्चा की सिफारिश की है ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि किराया नियंत्रण और गृह-आवासों को विनियमित करने वाली विधियों का छावनियों में विस्तार करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह विधेयक पारित करना इसलिये आवश्यक था कि संविधान के अनुच्छेद २४६ तथा संघ सूची की प्रविष्टि संख्या ३ के अनुसार छावनियों में किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार पूर्णतः संसद पर निर्भर करता है । पहिले यह शक्ति राज्य सरकारों के पास थी । इसलिये इस विधेयक का

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिशों से प्रस्तुत हुआ ।

[सरदार मजीठिया]

आशय केवल इतना ही है कि किसी विशेष राज्य में प्रयुक्त किराया नियंत्रण विधियां उस राज्य की छावनियों में भी प्रयुक्त होंगी। इसकी आवश्यकता इस कठिनाई के कारण भी हुई कि छावनी के कुछ मकान-मालिक अपने किरायेदारों को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके पूर्व मध्य भारत निवासस्थान और किराया नियंत्रण अधिनियम १९५५ से वहां के किराये का नियंत्रण होता था। अब राज्य के अधिनियम छावनियों में लागू नहीं होते हैं। इसलिये यह विधान पारित करना आवश्यक हो गया। यह निर्विवाद विधान है। मैं इसकी चर्चा की सिफारिश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकन्दपुरम्) : इस संशोधन का मुख्य कारण यह है कि छावनियों में किराया निश्चित करने तथा किरायेदारों को हटाने में कुछ कठिनाइयां सामने आई। १९२४ के छावनी अधिनियम के पारित होने का मुख्य कारण यह था कि सेना को विशेष सुरक्षा दी जाय और उनकी नागरिक जनसंख्या से रक्षा की जाय। १९४७ में जब भारत से अंग्रेज चले गये तो इन छावनियों की या १९२४ के मूल अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी तथापि आज दस वर्ष बाद उक्त अधिनियम में केवल आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। मूल अधिनियम में और भी कई त्रुटियां हैं। म्यूनीसिपल बोर्डों में श्रमिकों के लाभ के लिये कई विधियां विद्यमान हैं जब कि छावनियों में मजदूरों को ये लाभ प्राप्त नहीं हैं। वस्तुतः इस अधिनियम का पूर्णतः निरसन कर छावनियों में भी उसी नगर के निगम, नगरपालिका इत्यादि का प्रशासन लागू हो जाना चाहिये। छावनियों का पृथक प्रशासन होने से एक ही नगर में दो प्रकार का प्रशासन हो जाता है एक स्वायत्त शासन दूसरा केन्द्रीय सरकार द्वारा छावनियों का प्रशासन, इससे बड़ी असंगतियां पैदा हो जाती हैं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं साथ ही सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि इस प्रकार आंशिक संशोधन करने से यही अच्छा है कि सम्पूर्ण विधेयक में व्यापक संशोधन किया जाय और यदि विधेयक आवश्यक हो गया हो तो उसे निरसित कर दिया जाय। मेरे विचार से इस विधेयक से कोई प्रयोजन हल नहीं होता है और छावनी में रहने वाले लोगों की शिकायतें बढ़ रही हैं। अतः इस विधेयक का निरसन करना ही उचित है। वस्तुतः यह संशोधन तो बहुत पहिले ही पारित हो जाना था। कुछ भी हो उचित यही है कि यथाशीघ्र इस मूल विधेयक का, ही निरसन कर दिया जाय और छावनियों को म्यूनीसिपल बोर्डों में मिला लिया जाय।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मंत्री महोदय ने जो कटोन्मेंट्स एक्स्टेंशन आफ रेंट कंट्रोल लाज बिल रखा है, मैं उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कैंटोन्मेंट्स ऐक्ट है वह सन् १९२४ के ऐक्ट के आधार पर बना हुआ है। लेकिन जमाने के अनुसार आज हम सन् १९५७ में चल रहे हैं। इतने वर्षों के बाद क्या हमारे लिए यह जरूरी नहीं है कि हम एक कांप्रिहेन्सिव (व्यापक) बिल इस काम के लिए पेश करें। आप मध्य भारत ऐकोमोडेशन कंट्रोल ऐक्ट १९५५ को बदलना चाहते हैं और बदल कर चाहते हैं कि उसको माऊ पर लागू करें। आप इस बिल के अनुसार मध्य भारत ऐकोमोडेशन कंट्रोल ऐक्ट से कुछ शहरों को निकाल रहे हैं। आप देखेंगे कि पृष्ठ ३ पर सेक्शन ६ का जो क्लाज १ है उसमें से लश्कर के साथ ही ग्वालियर, मोरार, इन्दौर, उज्जैन आदि सब शहरों को निकाल देना चाहते हैं। आप इन छोटी-छोटी चीजों के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

तरमीमें लाया करते हैं। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दस वर्ष हो जाने के बाद भी इस तरह के तरमीमी बिल लाना ठीक नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप एक कांप्रिहेन्सिव बिल लाइए और इस सदन के सामने रखिए। सदन में इस तरह की आवाज कई दफा उठ चुकी है कि हम कोई लेजिस्लेशन लाएं, लेकिन वह लेजिस्लेशन इस तरह का होना चाहिए जिसे हम अच्छी तरह से लागू कर सकें।

मैं मानता हूं कि कटोन्मेंट एरियाज़ (छावनियों) में जो आप के मकानात हैं उनका कंट्रोल करना आप के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही क्या यह जरूरी नहीं है कि यह अधिकार वहां के चुने हुए कटोन्मेंट बोर्डों के प्रतिनिधियों को दिए जाएं और वह जनता द्वारा चुने जाएं।

इसी के साथ ही आप को यह भी करना चाहिए कि जितने कैंटोन्मेंट बोर्ड हों उनके जो मेम्बर होते हैं वे उसी तरह से चुने जाएं जिस प्रकार से कि म्यूनिसिपल बोर्डस के मेम्बर चुने जाते हैं। आप जबलपुर में कैंटोन्मेंट बोर्ड के चुनाव करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वहां के एलेक्टोरल रौल्स के बनाने का क्या तरीका है। वहां पर जिनके मकानात हैं अगर उनके हिसाब से यह रौल्स बनाए जाएं तो बहुत अच्छा है।

बहरहाल सारी चीजों को देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि जो आप पीसमील लेजिस्लेशन (आंशिक विधियां) ला रहे हैं, उसकी जगह कांप्रिहेन्सिव बिल लाना चाहिए था। इससे हमारे देश में जितने कैंटोन्मेंट्स बोडस हैं उन सबका भला होगा। इन शब्दों के साथ जो बिल आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** (गुरदासपुर): मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस विषय पर हमें एक विशद् विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा भी विचार है कि इस मामले के सम्बन्ध में एक विशद् विधान की आवश्यकता है परन्तु साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि इस विधेयक को एकांगी नहीं समझना चाहिए क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा और कोई यह नहीं समझ सकता कि निकट भविष्य में क्या कठिनाई हमारे सामने आ सकती है। इसलिए मेरा विचार है कि वर्तमान विधेयक ठीक है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

छावनियों के बारे में पर्याप्त बातें कही गईं और सुझाव दिया गया कि इनका प्रशासन नगरपालिका समिति प्रशासन में मिला देना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें छावनी बोर्ड तथा नगरपालिका समिति के अन्तर को समझना चाहिए। नगरपालिकाओं में नागरिक रहते हैं जबकि छावनी बोर्ड में सशस्त्र सेनायें रहती हैं। जिनका कभी भी स्थानान्तरण हो सकता है। इसलिए नगरपालिका विधियों को छावनी बोर्डों पर लागू करना ठीक नहीं है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छावनी बोर्ड हैं और मैंने देखा है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। इसलिए यह कहना गलत है कि छावनी बोर्ड में रहने वाले तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। छावनी बोर्डों में बड़ी सफाई रहती है और इनके नगरपालिका से सम्मिलित करने तक मैं समझता हूँ यहां पर और भी सुविधायें दी जा सकेंगी।

माननीय मंत्री ने कहा कि यह ऐसा विधेयक है जो विवादास्पद नहीं है। परन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई भी विधेयक ऐसा नहीं हो सकता जिस पर दो मत न हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दं० चं० शर्मा]

मैं आशा करता हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं है जब छावनी बोर्ड, नगरपालिका समिति में शामिल कर दिए जायेंगे। अभी भी सशस्त्र सेनायें जितनी शीघ्रता से असैनिक जीवन में अपना स्थान बनाती जा रही हैं यह विशेष बात है। छावनी बोर्डों में परिवर्तन हो रहे हैं और यह कहना एकदम गलत है कि छावनी केवल सेनाओं के रहने के लिए हैं। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। इस विधेयक के द्वारा रक्षा मंत्रालय इस बात को चाहता है कि विभिन्न राज्यों में जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट हैं उनको छावनियों पर भी लागू किया जाये और आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन किया जाये।

इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जहां हमारे अधिकारियों को इस बात की चिन्ता है कि जो किरायेदार हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाये वहां मैं रक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मकान मालिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाये क्योंकि अक्सर ऐसे मामले भी देखने में आते हैं कि मकान मालिकों को किराया न मिलने के कारण कठिनाई होती है। मेरा निवेदन है कि जब इस तरह का कानून लागू किया जाये और उसमें संशोधन का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया जाये तो इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि मकान मालिकों के हितों को भी व्याघात न पहुंचे। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन भी करना है कि अगर इस बात की व्यवस्था न की गयी तो छावनियों में जो नये मकान बन रहे हैं उनमें भी बाधा पड़ सकती है और मकान बनाने वाले हतोत्साहित हो सकते हैं।

दूसरा सुझाव इस सम्बन्ध में मैं यह देना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा रक्षा मंत्रालय काफी बड़ा अधिकार अपने हाथ में लेने जा रहा है। केवल राज्यों के कानन ही छावनियों पर लागू नहीं किये जायेंगे बल्कि उनमें संशोधन भी किया जायेगा। उन संशोधनों पर इस सदन को कोई राय देने का मौका नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में बहुत देरी लगने की सम्भावना है क्योंकि अगर हर राज्य का कानून यहां लाया जाये और उसके संशोधनों पर यहां विचार हो तो निश्चय ही बहुत देरी होगी। इसलिए मैं इस सुझाव का तो समर्थन नहीं कर सकता लेकिन यह निवेदन करूंगा कि अगर किसी छावनी पर ऐसे कानून को लागू करने का विचार हो तो यह अच्छा होगा कि उस छावनी बोर्ड से भी इस सम्बन्ध में परामर्श कर लिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं उपस्थित होगी। ऐसा करने से एक सहूलियत यह भी होगी कि लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि यह कानून उनके ऊपर थोपा जा रहा है।

तीसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा के यह नियम हैं कि जो भी विधेयक यहां स्वीकार होकर अधिनियम बनता है उसके रूल्स (नियम) सदन की मेज पर रखे जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून इन छावनियों पर लागू किये जायें और उनमें जो भी संशोधन किये जायें उनकी प्रतियां इस सदन की मेज पर रखी जायें ताकि यदि कोई सदस्य चाहें तो उस पर वादविवाद प्रारम्भ कर सकें।

मेरे आदरणीय मित्र श्री मेनन साहब जो विरोध पक्ष से बोले उन्हों ने अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया कि इन छावनियों को समाप्त कर दिया जाये । मैं उन सदस्यों में से हूं जोकि इस बात का हमेशा प्रयत्न करते रहे हैं कि इन छावनियों की जनता को पूरे अधिकार मिलने चाहियें और जो अधिकार उन के पड़ोस की नगरपालिकाओं या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जनता को प्राप्त हैं उन से इन लोगों के अधिकार कम नहीं होने चाहियें । लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर छावनियों की जनता की इस बारे में राय ली जाये तो वे निश्चय ही केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत रहना चाहेंगे न कि राज्य सरकारों के । जैसा कि अभी मेरे मित्र शर्मा जी ने बतलाया छावनियों में सफाई आदि का स्तर बहुत ऊंचा है । छावनी बोर्डों में सफाई आदि की जो व्यवस्था है उस से उन के निकटवर्ती म्युनिसिपल बोर्डों को और दूसरी स्थानीय संस्थाओं को इस बारे में सबक लेना चाहिये अतः मैं इस बात का कभी समर्थन नहीं कर सकता कि इन छावनियों को ही समाप्त कर दिया जाये । लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कुछ वर्ष पहले मंत्री महोदय ने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही एक बड़ा विधेयक लायेंगे । जिस से वहां की जनता को अधिक अधिकार मिलेंगे लेकिन अभी तक वह कानून नहीं लाया गया है । पिछले बजट के समय भी कुछ मित्रों ने इस सवाल को उठाया था और मैं ने भी ज़ोर दिया था तो रक्षा मंत्री मेनन साहब ने यह कहा था कि यह जो छावनियां हैं ये कोई इम्पीरियलिज्म के गढ़ नहीं हैं । उन्हों ने यह शब्द कहे थे और इस सदन में इस बात की घोषणा की थी कि छावनी बोर्डों में सरकारी और गैर सरकारी मेम्बरों की संख्या बराबर कर दी जायेगी । अभी ऐसा है कि कहीं चार और पांच का अनुपात है, कहीं दो और तीन का । उन्हों ने आश्वासन दिया था कि इन बोर्डों में सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बराबर कर दी जायेगी । लेकिन अभी उस कानून को नहीं लाया गया है । जैसी आवश्यकता होती है उस के अनुसार छोटे छोटे कानून लाये जाते हैं । इन को लाना भी उचित ही है लेकिन जिस गति से यह काम हो रहा है वह बहुत धीमी है । मैं समझता हूं कि अगर एक बड़ा विधेयक लाया जाये तो उस पर हम लोग विस्तार से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । एस्टीमेट्स कमेटी ने भी इस विषय पर विस्तार के साथ अपने विचार प्रकट किये हैं और कुछ सिफारिशें भी की हैं । मेरा निवेदन है कि उन सिफारिशों में से अधिकांश ऐसी नहीं हैं जोकि इम्प्रेक्टिकल हों । मैं समझता हूं कि सरकार को उन सिफारिशों को मंजूर कर लेना चाहिये । उन सिफारिशों पर शीघ्रता से विचार होना चाहिये और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री महोदय उस विधेयक को शीघ्र ही लायेंगे और उस पर हम को विस्तार के साथ विचार करने का मौका मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि एक गैर सरकारी सदस्य का विधेयक छावनी अधिनियम को संशोधित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत होने वाला है और उस पर विचार किया जायेगा । इसलिये मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री का उस विधेयक के बारे में क्या विचार होगा । किन्तु मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब हमें छावनी बोर्डों को भी उत्तरदायी बनाना चाहिये ।

वर्तमान छावनी अधिनियम में ऐसा उपबन्ध भी है कि छावनी बोर्ड द्वारा पारित ऐसे संकल्प को जो कि सैनिक हितों के विरुद्ध हो सेनाधिपति द्वारा रद्द किया जा सकता है । परन्तु हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि सेनाधिपति केवल उन्हीं मामलों के बारे में वीटो कर सके जो सेना के बारे में हों तथा जो सेना के बारे में नहीं हों उन को न कर सके । साथ ही साथ मैं केवल इतना चाहता हूं कि इस विधेयक को तब तक के लिये लम्बित किया जाये जब तक गैर सरकारी सदस्य के विधेयक पर विचार नहीं हो जाता है । इन शब्दों में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्) : मैं भी समझता हूं कि जो कुछ मेरे मित्र श्री शर्मा तथा श्री भक्त दर्शन ने कहा वह ठीक है क्योंकि मैं बहुत समय से सिकन्दराबाद छावनी में रह रहा हूं। उन में दो प्रकार के क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में सफाई बहुत अच्छी है तथा दूसरों में जिन की संख्या बहुत अधिक है, में न तो सड़क पर रोशनी है और न जल की व्यवस्था ही अच्छी है। सिकन्दराबाद की छावनी की हालत ऐसी ही है। हैरदराबाद छावनी की सड़कें बड़ी खराब हैं कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिये बजाये यह सुझाव देने के कि इन छावनियों को समाप्त कर दिया जाये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नगरपालिका समिति आदि की जो विधि है उन को इन छावनियों में भी लागू कर देना चाहिये। साथ ही साथ सिकन्दराबाद छावनी को छोटा कर देना चाहिये जिस से इस की व्यवस्था ठीक हो सके।

†**सरदार मजीठिया** : श्रीमान्, मैं सब से पहले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने इस छोटे से विधेयक का इतना स्वागत किया। यद्यपि मेरे 'विवादहीन' शब्दों से मेरे कुछ मित्र नाराज़ हो गये परन्तु क्योंकि सभा के सभी भागों ने इस का पूरा पूरा समर्थन किया इस से सिद्ध हो जाता है कि यह विधेयक 'विवादहीन' है। सब से पहले मैं श्री भक्त दर्शन द्वारा प्रस्तुत दो सुझावों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। पहला सुझाव यह था किसी छावनी पर इस विधेयक को लागू करते समय उस छावनी बोर्ड का परामर्श लेना चाहिये। इस सुझाव को स्वीकार करने में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उन का दूसरा सुझाव प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में था। मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि जो सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन पर मंत्रालय विचार कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही उन पर निर्णय कर लिया जायेगा।

मेरे विरोधी पक्ष के मित्र, श्री मेनन, सर्वदा बड़े ज़ोर शोर के साथ आलोचना किया करते हैं और आज भी उन्हों ने वैसा ही किया। परन्तु अन्त में, उन्हों ने इस का समर्थन ही किया क्योंकि इस से ग़रीब किरायेदारों को लाभ होता था।

मेरे द्वारा चार वर्ष पूर्व दिये गये आश्वासन की ओर निर्देश किया गया। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अपने आश्वासन पर अभी भी दृढ़ हूं। मैंने यह आश्वासन दिया था कि छावनियों में कुछ सुधार कर के अनुभवी हो जाने पर, मैं एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करूंगा। उन्हों ने स्वयं ही कहा है कि राष्ट्र के जीवन में दस वर्ष बहुत कम समय है। यही मेरा विचार था परन्तु अब इस विधान के द्वारा पर्याप्त सुधार होने वाले हैं और छावनी में रहने वाले लोगों का यह विचार है कि वहां अधिक सुविधायें हैं। इस से सिद्ध हो जाता है कि वहां के निवासी बड़े सुखी हैं। मुझे याद है कि जब छावनी बोर्ड के नगरपालिका में विलीनीकरण का मामला उठा था तब छावनी के निवासियों ने बड़ा आन्दोलन किया था कि वह इस से मिलना नहीं चाहते हैं।

यह कहा गया कि छावनियों में, पहले केवल सशस्त्र सेनायें रहा करती थीं। यदि लोगों को ४७ से पूर्व की दशा का ही ध्यान है तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी वह पुरानी विचार-धारा में ही रह रहे हैं और उन के मन अभी बदले नहीं हैं यद्यपि संविधान को स्वीकार कर लिया है। हम अब स्वतंत्र हैं और समस्त देश के विकास के लिये काम कर रहे हैं। उन की विचारधारा अभी तक इसीलिये पुरानी है क्योंकि वह छावनी बोर्डों में अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं कर पाये हैं। वह लोकतंत्र के बारे में बातें बहुत करते हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि वह उस के सिद्धान्तों को कहां तक मानते हैं। परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि छावनियां सशस्त्र सेनाओं के वहां पर रहने के लिये बनी हैं। असैनिक जनता सेना की सहायता करने तथा अपना व्यापार और उद्योग बढ़ाने के लिये वहां आईं। अब ये

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक व्यक्ति यह चाहते हैं कि सशस्त्र सेनाओं का कोई नियंत्रण न रहे यद्यपि वह वहां रहती रहें। यह बड़ा अजीब प्रकार का लोकतंत्र है कि वही व्यक्ति जिन पर इस विधान का असर पड़ता हो उन से ही इस कारणवश कुछ न पूछा जाये कि वह एक छावनी से दूसरी छावनी में घूमते रहते हैं। आप को उन्हें भी सुरक्षा देनी होगी और इसीलिये हम ने पदाधिकारियों का नामनिर्देशन करने की पद्धति रखी है।

मैं एक बात बताना चाहता हूं और वह यह है कि यह कहा गया कि मंत्री महोदय ने छावनियों में समानता रखने का आश्वासन दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि इस को शीघ्र ही लागू किया जायेगा। आदेश दिये जा चुके हैं। अभी वहां पर असैनिकों तथा सैनिकों का समान प्रतिनिधित्व है।

जैसाकि मैं ने बताया मुख्य ध्यान सैनिकों का रखा जाना है इसीलिये हम ने बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है। परन्तु साथ ही साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन छावनियों पर पूरा नियंत्रण इस सभा का है और इस बात का कोई भी विरोध नहीं करेगा कि इस सभा को समस्त भारत का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यदि भारत की जनता इन छावनियों का ध्यान रखेगी तो मेरा विचार है कि उन को लोकतंत्र की अधिकतम सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी।

अन्त में, मैं एक बार फिर सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने इस विधान का पूर्णतः समर्थन किया। मैं सभा से विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि किराया नियंत्रण और गृह-आवासों को विनियमित करने वाली विधियों का छावनियों में विस्तार करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—४

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३ तथा ४ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ३ तथा ४ विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**सरदार मजीठिया** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य स्थिति

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश की खाद्य स्थिति पर विचार किया जाये ।"

मैं श्री अशोक मेहता तथा खाद्यान्न जांच समिति में उन के साथियों के प्रति धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि उन्हों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया है । समिति के एक माननीय सदस्य श्री तैयबजी हमारे बीच में नहीं रहे और मैं समझता हूं कि सभा मेरे साथ उन के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेगी । समिति ने अपना प्रतिवेदन बड़ी शीघ्रता से प्रस्तुत किया । इस ने समस्त देश का दौरा किया और इस समस्या में रुचि लेने वाले लोगों के साक्ष्य लिये और बड़ा ही विशद् सर्वेक्षण किया ।

अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का अध्ययन किए बिना देश की खाद्य स्थिति पर कुछ भी कहना अपूर्ण ही रहेगा । जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है हम इस समिति को प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सावधानी से विचार कर रहे हैं । अभी हमने कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है । मैं आशा करता हूं कि चर्चा की अवधि में माननीय सदस्य अपनी बातें बतायेंगे और सिफारिशों पर अपने मत प्रकट करेंगे । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि अन्तिम निर्णय करते समय इस सभा में दिए गए सुझावों का ध्यान रखेंगे । यह भी अच्छा हुआ कि यह चर्चा ऐसे समय उठाई गई जब हम समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं ।

सभा को याद होगा कि एक सप्ताह पूर्व हमने देश में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की थी । माननीय सदस्य आशा करेंगे कि मैं वही बातें न दोहराऊं जो उस समय मैंने कहीं थी क्योंकि उसके बाद बहुत सी नई बातें हो गई हैं और मैं उन बातों के बारे में सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहता हूं ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्यान्नों के आयात के लिए हम विदेशों से बातचीत कर रहे हैं । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी बातचीत संतोषजनक हो रही है और आशा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का आयात हो जायेगा ।

उस दिन मैंने सूखे के जिलों में जाने वाले पदाधिकारियों के दल के सम्बन्ध में बताया था । वह दल वापस लौट आया है । उस दल में योजना आयोग के प्रतिनिधि, खाद्य त । कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि थे । ऐसा उद्देश्य था कि यह दल यथासंभव शीघ्र हानि का निर्धारण करे । इसे द्वितीय योजना काल के १९५७–५८ वर्ष की योजनाओं की छोटी सिंचाई योजनाओं तथा मजदूरों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के आधार पर अग्रेतर जांच करने के लिए भी कहा गया था । उन्हें यह भी पता लगाना था कि किन अतिरिक्त योजनाओं को प्रारम्भ किया जाये जिससे सूखे वाले क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था की जा सके ।

इस दल ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, चार राज्यों का दौरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस दल के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करना चाहता हूं । इस दल ने बिहार में जाकर उत्तरी बिहार के चार जिलों, दक्षिणी बिहार के तीन जिलों और छोटा नागपुर के दो जिलों का दौरा किया था । बिहार में, कृषि के कुल क्षेत्र में ५० प्रतिशत से कुछ कम क्षेत्र, अर्थात् ११२ लाख एकड़ भूमि पर शीतकालीन धान की खेती होती है । दल ने पता लगाया है कि ३६ लाख एकड़ में होने वाली भदाई फसल एक प्रकार से अच्छी ही रही है । लेकिन, यहां की मुख्य फसल, शीतकालीन फसल, की भारी क्षति हुई है । दल के बिहार दौरे के समय, वहां रबी की बुआई हो रही थी । उस समय तक अंकुवे फूटने की प्रगति तो काफी संतोषप्रद थी । कहीं कहीं किसानों ने रबी की बोआई करने के पहले जितना भी पानी मिल सका उससे भूमि को गीला कर लिया था । रबी की फसल शायद कम ही होगी । लेकिन फसल कितनी होगी यह इस बात पर भी निर्भर है कि दिसम्बर और जनवरी में कितनी वर्षा होती है । हानि कितनी हुई है इसका पता तो जनवरी में फसल कट चुकने के बाद ही लग सकेगा । समिति ने पहले पड़ने वाले सूखों—१९३२, १९३५ और १९५० में पड़ने वाले सूखों—का अध्ययन किया है, और उससे उसने मोटे तौर पर एक निष्कर्ष यह निकाला है कि राज्य सरकार ने जितना हानि का अनुमान लगाया है, वास्तविक हानि उससे शायद कुछ कम ही होगी ।

मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस दल के सदस्य यह देखकर बड़े प्रभावित हुए थे कि किसान और राज्य सरकार के अधिकारी दोनों ही बड़ी ईमानदारी और लगन से सूखे की रोकथाम के उपाय करने में जुटे हुए थे । मैं आपको समिति के प्रारूपित प्रतिवेदन से एक पैरा पढ़कर सुनाता हूं :

"सूखे के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिये राज्य सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से उपाय किये हैं । नहरों और नल कूपों से होने वाली सिंचाई की दरें घटा दी गई हैं, और इनसे अधिकतम लाभ उठाने के लिये एक सफल आन्दोलन छेड़ा गया था । किसानों ने खाइयों और तालाबों से पानी निकालने के लिये बहुत प्रयत्न किये हैं । सिंचाई तथा राजस्व विभाग ने नदियों में, जितना भी पानी बच रहा था, उसे फसलों के लिये बचाने को, दूसरी दिशा में मोड़ने के लिये छोटी और बड़ी नदियों में अस्थायी बन्दे बनाये गये हैं : इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकारी नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र ७.५२ लाख एकड़ से बढ़कर १९५६–५७ में ९.८४ लाख एकड़ हो गया है । नल कूपों से होने वाली सिंचाई का खरीफ की फसल का क्षेत्र २६,००० एकड़ से बढ़कर ७०,००० एकड़ हो गया है । नदियों और नहरों में से पम्पों के जरिये पानी निकालने के लिये सिंचाई, कृषि, दमकल सेवा और स्वास्थ्य विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारों के सभी सुलभ पम्प उपयोग किये गये हैं । किसानों को देने के लिये १०० पम्पिंग सैट्स खरीदे गये थे । सहायता के सभी उपायों को आरम्भ करने और उनमें सहयोजना पैदा करने के लिये एक बड़े क्षमताशील अधिकारी को सहायता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था । साथ ही, एक सहायता सहयोजना समिति की नियुक्ति की गई है, जिसमें मुख्य सचिव, विकास तथा सहायता आयुक्त और सदस्यों के रूप में कई सचिव तथा विभागों के प्रधान भी प्रत्येक सप्ताह स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये रखे गये हैं । जिलों से साप्ताहिक

[श्री अ० प्र० जैन]

प्रतिवेदन मंगाये जाते हैं और कुछ स्थानों पर सहायता के उपाय भी आरम्भ किये गये हैं । फरवरी से जून १९५८ में सबसे अधिक संभावित संकट के काल की स्थिति को संभालने के लिये पूरे कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं । राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कताई के जरिये सहायता देने की योजनाओं पर राज्य सरकार विचार कर रही है । अभी उसका ठीक ठीक ब्यौरा तैयार नहीं किया जा सका है ।"

समिति की यही भावना है । इस दल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया तथा आजमगढ़, चार जिलों का दौरा किया था । वहां स्थायी रूप से की गई पूछताछ से पता चला है कि धान की पहली फसल तो काफी सामान्य थी, लेकिन बाद की फसल को काफी हानि पहुंची है । कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो फसल बिलकुल ही नहीं हुई है पर निचले क्षेत्रों में काफी ठीक रही है । स्थानीय अधिकारियों का अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के १५ जिलों में चावल की पैदावार ५.१२ लाख टन ही होगी, जब कि सामान्यतया वहां १०.१६ लाख टन उत्पादन होता था । समिति की राय यह थी कि हानि को अधिक करके आंका गया था । समिति ने खड़ी हुई फसल का उत्पादन ७.७७ लाख टन आंका है, जबकि राज्य ने उसे ५.१२ लाख टन आंका था । अब इसका परिणाम तभी ठीक ठीक आंका जा सकेगा, जब कि जनवरी में फसल की कटाई के परीक्षणों के परिणाम ज्ञात हों । समिति ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने यथासम्भव सुलभ जल से भूमि को गीली करने का जो प्रयास किया था, उसके फलस्वरूप रबी की फसल की बोआई ९० प्रतिशत सामान्य रही थी । दल की भांति, स्थानीय अधिकारियों की भी यही राय थी कि यदि दिसम्बर और जनवरी में वर्षा अनुकूल रही तो परिणाम ९० प्रतिशत से भी अधिक रहेगा ।

समिति ने मध्य प्रदेश में पाया था कि धान के ९४ लाख एकड़ों से १३.२९ लाख टन के उत्पादन की आशा है । यह अनुमान राज्य सरकार के अधिकारियों के इस अनुमान पर आधारित है कि फसल रुपये में ६ या ७ आने भर रहेगी । फिर भी, राज्य सरकार के अधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि बाद की वर्षा के फलस्वरूप रीवां के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में उत्पादन अच्छा रहेगा और फसलें रुपये में ८ से ९ आने भर हो सकती हैं फसलों की हानि राज्य सरकार के अनुमान के मुकाबले एक-तिहाई कम ही होगी ।

समिति का विचार था कि रबी की फसल की बोआई पर रीवां और कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ सीमा तक बुरा प्रभाव पड़ा है और अक्तूबर की वर्षा के कारण अन्य क्षेत्रों की फसल में कोई विशेष हानि नहीं होगी ।

उड़ीसा की सरकार ने अपनी क्षति के सम्बन्ध में अनुमान लगाया है कि वह ६ से १० लाख टन तक की होगी, जबकि सामान्य उत्पादन २१.४ लाख टन का होता है । समिति की राय थी कि यहां भी क्षति को अधिक करके आंका गया था । दल ने उड़ीसा के काफी बड़े हिस्से का दौरा किया था । सभा को यह सुनकर संतोष होगा कि सम्भलपुर क्षेत्र में हीराकुण्ड नहर के अन्तर्गत पहली बार १.५ लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की गई है और इससे राज्य सरकार का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी । सिंचाई से होने वाली

फसलों का उत्पादन सभी जगह अच्छा मालूम पड़ता है । दल ने हीराकुण्ड के चीफ इंजीनियर के साथ भी इस स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की थी, और उसने आश्वासन दिया था कि दालवा फसल के लिये सम्भलपुर के एक लाख से भी अधिक क्षेत्र के लिये सिंचाई का पानी सुलभ बनाया जा सकता है । वे इस पर भी सहमत थे कि आन्ध्र और मद्रास से बीज मिलने पर दालवा फसल के क्षेत्र में लगभग एक लाख एकड़ की वृद्धि की जा सकती है । इस क्षेत्र में रागी और मक्का के उत्पादन का भी प्रयास किया जायेगा ।

अब मैं पहले एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । वह यह कि कुछ स्थानों में इस दल ने अपने सामने फसलों की कटाई करवाई थी । एक स्थान पर उसने देखा था कि स्थानीय अधिकारियों ने तो दो मन के उत्पादन का ही अनुमान लगाया था पर कटाई के परीक्षण के बाद वह उत्पादन ६ मन निकला था ।

मैं यह नहीं कहता कि इससे यह परिणाम निकाला जाये कि सभी जगह ऐसी ही स्थिति है लेकिन, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि कुछ स्थानों में स्थानीय अधिकारियों के आवश्यकता से अधिक उत्साह के कारण क्षति को अधिक करके आंका गया है । हम अभी ठीक ठीक नहीं बता सकते कि क्षति कितनी होगी, फिर भी हम इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं कर सकते कि क्षति अनुमान से कम भी हो सकती है । मैं यह कहता हूं कि हमें बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये, और मैं इसी आधार पर कार्य कर रहा हूं ।

दल ने यह सुझाव दिये हैं ।

बिहार में ८० प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिये अपर्याप्त वर्षा या सभी जगह समान रूप से वर्षा न होने पर कृषि को नुकसान पहुंचता है । समिति ने सुझाव दिया है इस अनिश्चितता से कृषि को बचाने के लिये सक्रिय रूप से उपाय करने चाहियें । गंडक और कोसी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से राज्य के काफी बड़े भाग को इस अनिश्चितता से बचाने में सहायता तो मिलेगी, लेकिन फिर भी हमें अहार्स जैसे छोटे छोटे जलाशय बनाने और नदियों के आड़े बंध बनाकर नदियों की छोटी छोटी नहरें निकालने और खुले कुंओं द्वारा भूमि के नीचे के जल की सभी सम्भावनाओं का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिये । उत्तरी और दक्षिणी बिहार में छोटे छोटे नलकूप भी इसके लिये बनाने चाहिये । साथ ही चरस और रहट जैसे कम खर्चीले साधनों से कुंओं का पानी निकालने का भी प्रयास करना चाहिये ।

समिति ने व्यक्त किया है कि हरी खाद यानी फसल से पहले कुछ घासों को उगाने और उन्हें मिट्टी में डालने से भूमि की पानी की आवश्यकता १० प्रतिशत घट जाती है । भूमि की नमी बनाये रखने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये इस हरी खाद के साधन को एक बड़े पैमाने पर आरम्भ करना चाहिये ।

इसके बाद, समिति ने धान के खेतों के बन्धों की ऊंचाई बढ़ाने और रबी की फसलों के खेतों के चारों ओर बन्ध बनाने की सरल विधियों को बताया है । इनके द्वारा भी भूमि की नमी बनाये रखी जा सकती है । समिति ने इनका अधिक प्रचार करने के लिये कहा है । समिति की सिफारिश है कि

[श्री अ० प्र० जैन]

कृषकों द्वारा उगाई जाने वाली धान की किस्में इस बात पर निर्भर रहती हैं कि उनके खेत कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं। अधिक ऊंचाई सतह वाली भूमि में नमी कम होती है और वहां कुछ कृषक बाद में होने वाली किस्में लगाते हैं। हमें कृषकों को यह समझाना चाहिये कि ऐसी किस्मों की आवश्यकता है जो बाद में होने वाली इन किस्मों से एक दो सप्ताह पहले तैयार हो जायें।

कृषि विभाग को किस्में विकसित करने की दृष्टि से चुनाव करना चाहिये। उसे ऐसी किस्में चुननी चाहियें जो वर्तमान किस्मों से एक या दो सप्ताह पहले तैयार हो जायें, पर जिनके गुण या जिनकी उत्पादकता पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। धान की ऐसी किस्में विकसित करनी चाहियें जो सूखे के काल में भी पनप सकें।

समिति की एक और सिफारिश बहुत ही महत्वपूर्ण है। समिति ने सिफारिश की है कि शीघ्र ही और विलम्ब से तैयार होने वाली धान की मिश्रित खेती की जानी चाहिये। तंजोर के कुछ हिस्सों में इसका परीक्षण किया गया था और वह काफी सफल भी सिद्ध हुआ है। चीन और मिश्र में शीघ्र और विलम्ब से तैयार होने वाली धान को एक के बाद एक पंक्तियों में मिश्रित रूप से बोया जाता है। बिहार के परीक्षण केन्द्रों में भी इसके सफल परीक्षण किये जा चुके हैं। फरवरी से जून तक मूंगफली, मक्का, इत्यादि की फसलें भी इसी प्रकार थोड़े समय के लिये बोई जा सकती हैं और इसके लिये जल भी सुलभ बनाना चाहिये।

य सभी सिफारिश उन सभी राज्यों के लिये लाभप्रद हैं जहां ऐसी ही परिस्थितियां पाई जाती हैं।

इस दल ने छोटा नागपुर के लिये एक विशेष कार्यक्रम की सिफारिश की है, जिसके अन्तर्गत एक ही खेत में सूखा सह सकने वाली और अधिक समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों को उगाने, अधिक उत्पादकता वाली पहले पैदा होने वाली धान की किस्मों को उगाने और धान के स्थान पर अन्य उपयुक्त फसलें जैसे मानसून के दिनों में होने वाली धान उगाने और फसलों के क्रम में परिवर्तन करने के बारे में गवेषणा की जायेगी।

बिहार में योजना का क्रम बदला जा रहा है। सरकार ने कृषीय उत्पादन की वृद्धि के लिये रखी जाने वाली योजनाओं के वर्तमान बंटवारे में कोई परिवर्तन नहीं किया है। और साथ ही जहां भी सम्भव था अतिरिक्त आवंटन भी किये हैं। सरकार ने तीव्र श्रम वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी है, विशेषकर उन योजनाओं को जिनसे कि खेतिहर मजदूरों को काम मिल सकता है। बिहार सरकार ने छोटी छोटी अतिरिक्त सिंचाई योजनाओं को आरम्भ करने, वर्तमान मुख्य-मुख्य योजनाओं और सड़कों तथा भूमि परिरक्षण, मीन क्षेत्रों इत्यादि के विकास की विभिन्न योजनाओं में अधिक तेजी लाने के लिये १.५ करोड़ रुपयों के आवंटन की मांग की है। इसका प्रबन्ध किया गया है कि बिहार सरकार इन अतिरिक्त निर्माण-कार्यों को आरम्भ कर सके। केन्द्र इन योजनाओं की परीक्षा कर रहा है।

अन्य राज्य सरकारों की योजनायें अभी आने को हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न योजनाओं के लिये ४० लाख रुपये मंजूर किये जा चुके हैं। सूखे के फलस्वरूप पैदा होने वाली परिस्थिति के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है।

सभा ने खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में पिछली बार जब वाद-विवाद किया था, तब से अब तक हमने खाद्य सम्बन्धी प्रशासन में सुधार करने के लिये कुछ उपाय किये हैं। संक्षेप में वे उपाय ये हैं।

ऐसा पहला उपाय है ऋण पर अधिक नियंत्रण करना। ७ जून को एक आदेश जारी किया गया था कि खाद्यान्नों की जमानत पर दिये जाने वाले कुछ ऋण को १९५६ की अपेक्षा ४० प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाये, जिससे कि १८ जुलाई, १९५७ तक और उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में वर्ष १९५६ के इसी काल की अपेक्षा चावल और धान की जमानत पर दिया जाने वाला ऋण ६६⅔ प्रतिशत, और अन्य खाद्यान्नों की जमानत पर दिया जाने वाला ऋण ७५ प्रतिशत से अधिक न बढ़ पाये ; और चावल तथा धान की जमानत पर दिया जाने वाला ऋण ५०,००० रुपये तथा अन्य खाद्यान्नों की जमानत पर दिया जाने वाला ऋण भी ५०,००० रुपये तक ही सीमित रहे। इन उपायों के परिणामस्वरूप, बैंक द्वारा दिये जाने वाला ऋण में काफी कमी हो गई है।

७ जून, १९५७ को बैंक के पास ऋण की जमानत के रूप में २,०१,४८,००० मन का स्टाक था, और ६ नवम्बर, १९५७ को बैंक के पास जमानत के रूप में २४,३२,००० मन का स्टाक ही रह गया था। उसमें ११–१२ प्रतिशत की कमी हो गई है। गत वर्ष की तुलना में, इसमें लगभग आधे की कमी हो गई है। २ नवम्बर, १९५६ को बैंक के पास जमानत के रूप में ५४,६३,००० मन स्टाक था, जब कि १ नवम्बर, १९५७ को वह २४,३२,००० मन ही रह गया था।

अन्य खाद्यान्नों के सम्बन्ध में भी यही हुआ है। ७ जून को बकों में अन्य खाद्यान्नों का २,१८,३०,००० मन स्टाक जमानत के रूप में जमा था, जब कि १ नवम्बर, १९५७ को वह ४८,५२,००० मन ही रह गया, अर्थात् उसमें २२ या २३ प्रतिशत कमी हो गई। २ नवम्बर, १९५६ को बैंको के पास खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक १,१२,६७,००० मन था। अर्थात् इस वर्ष उसमें लगभग आधे की कमी हुई है।

फिर भी, इस उपाय का प्रभाव सीमित ही रहा है। मेहता समिति ने स्वयं ही इसकी सीमित प्रभावशीलता को स्वीकार किया है। उसने पृष्ठ ७९ पर कहा है :

> "यदि घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने का परिमाण और उसके साथ ही विदेशों से मिलने वाली सहायता से आंशिक रूप में ही पूरा होने वाला विकास व्यय, दोनों अर्थ-व्यवस्था पर कुछ दबाव डालते हैं और उसके परिणामस्वरूप मूल्यों में कुछ वृद्धि होना अनिवार्य है, तो यह भी सही है कि जो भी उपाय किये जायेंगे उनसे मूल्यों की वृद्धि के इस प्रभाव में केवल कुछ सीमा तक ही रूपभेद किया जा सकता है, पूर्ण रूप से उसका निराकरण नहीं किया जा सकता।"

मेहता समिति ने अगले पृष्ठ पर सिफारिश की है :

> "इसलिये सट्टेबाज़ी की किसी भी अवांछित प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिये कुछ मुख्य चीज़ों की प्रतिभूति पर ही ऋण देने की व्यवस्था द्वारा ही नियंत्रण करना जारी रखना चाहिये, क्योंकि वही इसका एक नम्नशील साधन है और उसकी फलप्रदत्तता सिद्ध भी हो चुकी है।"

इस सम्बन्ध में जो भी किया जा सकता है, किया जा रहा है। सभा को मालूम है कि ज़ोनों का निर्माण इसी के लिये किया गया है। हमने दो गेहूं के और एक चावल का ज़ोन बना दिया है। ज़ोन निर्माण करने का तात्पर्य यह है कि अभाव वाले क्षेत्रों को अतिरिक्त खाद्यान्नों वाले क्षेत्रों के

[श्री अ० प्र० जैन]

सम्पर्क में रखा जाये, जिससे कि कुल मिला कर वह ज़ोन आत्म-निर्भर या लगभग आत्म-निर्भर हो जाये । ये दो गेहूं के ज़ोन हैं : पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और बम्बई । चावल के ज़ोन में हैं : मद्रास, आंध्र, मैसूर और केरल ।

इन ज़ोनों के निर्माण के परिणाम काफी संतोषजनक निकले हैं पंजाब और पश्चिमी ज़ोन दोनों में मूल्यों में काफी स्थिरता रही है । उनमें वृद्धि नहीं हुई है ।

जहां तक कि दक्षिणी ज़ोन का सम्बन्ध है, मद्रास, मैसूर, और केरल के अधिकांश स्थानों में इस वर्ष मूल्य गत वर्ष की अपेक्षा कम रहे हैं । परन्तु, आंध्र में मूल्य बढ़े हैं । लेकिन, वहां भी, अभी हाल की प्रवृत्तियों को देखने से पता चलता है कि अब वहां भी विक्रेताओं का प्रतिरोध ढीला पड़ता जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त, कई कारणों से कई राज्यों को पृथक रखा गया है । जहां तक चावल का प्रश्न है, त्रिपुरा, मनीपुर और आसाम को अलग रखा गया है । त्रिपुरा और आसाम को तो प्राकृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से अलग रखा गया है । त्रिपुरा तो जैसे एक पृथक द्वीप की तरह ही है । उसके तीन ओर पाकिस्तान है । आसाम भी भारत से केवल एक रेलवे लाइन द्वारा सम्बन्धित है । मनीपुर को उसकी विशेषताओं के कारण, वहां की आदिम काल जैसी परिस्थितियों के कारण, पृथक रखा गया है । उड़ीसा को भी पृथक् रखा गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१५४३—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
६७०	सोवियत रूस से ऋण	१५४३-४४
६७१	दण्डकारण्य पुनर्वास योजना	१५४४-४५
६७२	रूसी वनस्पतिविज्ञानवेत्ता	१५४५—४७
६७३	काश्मीर	१५४७-४८
६७४	श्रम विवाद	१५४८-४९
६७५	पंचशील	१५४९-५०
६७६	मधुमक्खी पालन	१५५०—५२
६७७	भारत राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	१५५२-५३
६८१	केरल में छापाखाना	१५५३
६८३	पाकिस्तान में धार्मिक न्यासों की सम्पत्ति	१५५३-५४
६८४	काजू का निर्यात	१५५४—५६
६८६	लाभ से बोनस को अलग करना	१५५६-५७
६८७	त्रिपुरा में छोटे पैमाने के उद्योग	१५५७
६८९	विदेशों में भारतीय राजदूतावास	१५५७-५८
६९०	चावड़ा में खनिज उद्योग	१५५८-५९
६९२	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का विकास	१५५९—६१
६९३	आकाशवाणी प्रसारण	१५६१-६२
६९५	भारतीय वायु बल के असैनिक कर्मचारी	१५६२-६३
६९६	चीनी उद्योग का वेतन बोर्ड	१५६३-६४
६९७	चल सम्पत्ति पर भारत-पाक समझौता	१५६४-६५
६९८	अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण	१५६५-६६
६९९	मिश्र को चाय का निर्यात	१६६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१५६६—१६००
तारांकित प्रश्न संख्या		
६७८	भेषज उद्योग	१५६६-६७
६७९	मद्रासी लुंगियां	१५६७
६८०	नमक	१५६७
६८२	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	१५६७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		
तारांकित प्रश्न संख्या		
६८५	प्रसूति लाभों के आदर्श नियम	१५६७-६८
६८८	मद्रास में बीड़ी के कारखाने	१५६८
६९१	सुरक्षा परिषद्	१५६८
७००	कच्चा लोहा	१५६८
७०१	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटिड	१५६९
७०२	सुन्दरबन में भूमि का कृष्यकरण	१५६९
७०३	कांगड़ा में चाय के बागान	१५६९
७०४	कार्मिक संघों का विश्व संघान	१५७०
७०५	"शति" खाद्य	१५७०
७०६	अल्युमिनियम	१५७०-७१
७०७	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये नियुक्त दल	१५७१
७०८	बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली	१५७१-७२
७०९	निर्यात व्यापार	१५७२
७१०	रद्दी रूई का निर्यात	१५७२
७११	पाकिस्तान से अनुसूचित जातियों के लोगों का प्रव्रजन	१५७३
२६८	हल्दी	१५७३
२७८	तम्बाकू उद्योग	१५७४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९१२	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	१५७४
९१३	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण	१५७४
९१४	जोगेन्द्रनगर कोलोनी, त्रिपुरा	१५७५
९१५	ग्रामीण आवास योजनायें	१५७५
९१६	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	१५७५-७६
९१७	आन्ध्र में छोटे पैमाने के उद्योग	१५७६
९१८	उत्पादकता	१५७७
९१९	भारी विद्युत् उद्योग विकास परिषद्	१५७७-७८
९२०	रासायनिक गूदे का आयात	१५७८
९२१	साइकिलें	१५७८
९२२	रेशम और रेशमी कपड़े का आयात	१५७८-७९
९२३	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कक्षायें	१५७९
९२४	दस्तकारी प्रशिक्षक	१५८०
९२५	छंटनी किये हुए कर्मचारी	१५८०-८१
९२६	काम दिलाऊ दफ्तर	१५८१
९२७	अम्बर चर्खा	१५८१-८२
९२८	उत्पादकता आन्दोलन	१५८२
९२९	बिनौले के तेल का उद्योग	१५८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६३०	तामचीनी के बर्तन	१५८३
६३२	उत्पादन समितियां	१५८३–८४
६३३	लकड़ी का गूदा	१५८४
६३४	बिजली के सामान का उद्योग	१५८४–८५
६३५	यूरिया फोर्मल्डीहाइड और सेलूलोज एसीटेट मोल्डिंग पाउडर	१५८५
६३६	रेशम उद्योग	१५८५–८६
६३६	न्यायाधिकरणों के निर्णयों की कार्यान्विति	१५८६
६४०	काम दिलाऊ दफ्तर	१५८६
६४१	प्रलेखीय चलचित्र	१५८६
६४२	गोआ से आये विस्थापित परिवार	१५८६–८७
६४३	निष्क्रान्त सम्पत्ति	१५८७
६४४	निष्क्रान्त सम्पत्ति	१५८८
६४५	बिहार म विस्थापित व्यक्ति	१५८८
६४६	उड़ीसा में विस्थापित व्यक्ति	१५८८–८६
६४७	पश्चिम बंगाल में मार्गस्थ शिविर	१५८६
६४८	बिहार प्रान्तीय औद्योगिक गवेषणा प्रयोगशाला	१५८६
६४६	भारतीय दूतावासों में सूचना अधिकारी	१५८६–६०
६५०	विभिन्न उद्योगों की उत्पादन क्षमता	१५६०
६५१	सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना	१५६०–६१
६५२	अपरिष्कृत काजू	१५६१
६५३	राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	१५६१
६५४	इन्जेक्शनों तथा गोलियों का आयात	१५६२
६५५	रूमानिया को जूतों का निर्यात	१५६२
६५६	अणु शक्ति विभाग	१५६३
६५७	अल्प आय वर्ग आवास योजना	१५६३–६४
६५८	मोटर कारें	१५६४
६५६	नई दिल्ली में उत्पादिता गोष्ठी	१५६४–६५
६६०	भारतीयों का प्रत्यावर्तन	१५६५
६६१	पंजाब को सीमेंट का संभरण	१५६५–६६
६६२	जनता जीवन बीमा पर प्रलेखी चलचित्र	१५६६
६६३	संश्लिष्ट रत्न	१५६६
६६४	उड़ीसा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	१५६६
६६५	भारतीय चलचित्रों का निर्यात	१५६६–६७
६६६	सहकारी कपड़ा मिलें	१५६७–६८
६६७	नई दिल्ली का शंकर मार्केट	१५६८
६६८	सहकारी क्षेत्र के कुटीर उद्योग	१५६८–६६
६६६	पंजाब में अम्बर चर्खा कार्यक्रम	१५६६
६७०	राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	१५६६–१६००

विषय पृष्ठ

निधन सम्बन्धी उल्लेख १६००

उपाध्यक्ष ने श्री रहीमतुल्ला चिनाय के, जो केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया । इस के पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में एक मिनट के लिये मौन खड़े रहे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६००–०१

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ४, दूसरा सत्र, १९५७ .

(दो) अनपूरक विवरण संख्या ५, पहला सत्र, १९५७

(२) पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १८ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ३० जून, १९५७ को समाप्त होने वाली छैमाही के लिये पुनर्वास वित्त प्रशासन के प्रतिवेदन की एक प्रति

कार्य–मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन —उपस्थापित . . . १६०१

तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य १६०१–०२

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इन के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये :

(एक) ईराक ने भारतीय विमान बल के विमानों के लिये हब्बानिया हवाई अड्डे के उपयोग की अनुमति नहीं दी

(दो) ३० नवम्बर, १९५७ को जकार्ता में इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण की हत्या का प्रयत्न

समितियों के लिये निर्वाचन १६०२–०३

शिक्षा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) ने प्रस्ताव रखा कि भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर की परिषद् में, एक सदस्य के रूप में काम करने के लिये लोक-सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय **पृष्ठ**

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने मानव विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से एक को निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक—पुरःस्थापित १६०३

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) संशोधन विधेयक, १९५७

विधेयक—पारित . . . . १६०३—०९

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) ने छावनियां (किराया नियंत्रण विधियों का विस्तार) विधेयक, १९५७ पर विचार करने के लिये प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात्, विधेयक पारित हुआ

खाद्य–स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १६१०—१६

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) ने प्रस्ताव किया :

"कि देश की खाद्य-स्थिति के सम्बन्ध में विचार किया जाये ।"

श्री अ० प्र० जैन का भाषण समाप्त नहीं हुआ

मंगलवार, ३ दिसम्बर, १९५७ के लिये कार्यावलि

खाद्य-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा और काजू उद्योग के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा